रजिस्ट्री सं. डी—(डी एन)—128/90 REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 1990 (फाल्गुन 5, 1911)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 1990 (PHALGUNA 5, 1911)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-400005, दिनांक 25 जनवरी 1990

संदर्भ: डीबीओडी० सं० एफओएल 335/सीएच० सी० 317(डी)-90—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में बैंकों के वर्तमान नामों में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे :

बैंक का वर्तमान नाम	बैंक का तदनुरूपी नया नाम
1. ओमान इंटरनेशनल बैंक एस० ए० ओ०	ओमान इंटरनेशनल बैंक, एस० ए० ओ० जी०
2. ग्रिंडलेज बैंक पी० एल० सी०	एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक पीएलसी०
3. द हांग कांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन	द हांग कांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड

ए० घोष,
उप गवर्नर

31-12-1989 को समाप्त छमाही के लिए खोए गए आदि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बांड की सूची का प्रकाशन

भाग "क" ———कुछ नहीं———

भाग "ख" 6 प्रतिशत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बांड 1985 (11 श्रृंखला)

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रु० में	जिसके नाम जारी	किस तारीख से ब्याज युक्त	अनुलिपि जारी करने और/या विमुक्ति मूल्य के भुगतान के लिए बाधेदार का/के नाम	जारी किए गए अनुदेशों की संख्या और तारीख	प्रकाशन सूची की तिथि जिसमें प्रतिभूति का प्रथम प्रकाशन हुआ
बीएल-000092	रु० 50,000/-	वि कर्नाटक इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक लि०	29-10-1984	वि कर्नाटक इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक लि०	सी० ओ० 69ए दि० 27-9-88	12-11-1988
बीएल-000093	रु० 50,000/-	---वही---	---वही---	---वही---	---वही---	---वही---

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 3 फरवरी 1990

क्र० सं० एस० बी० डी० 5/1990—इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उपधारा (1) के अनुच्छेद (घ) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार-विमर्श करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने डा० गुरचरण सिंग आरजी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, पंजाबी, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि दिनांक 17-3-1990 से 16-3-1993 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए श्री नोरबू ग्रोंग्पा के स्थान पर नामित किया है।

विजय अटल,
अध्यक्ष

केनरा बैंक

(कार्मिक विभाग)

प्रधान कार्यालय

बेंगलूर-560 002, दिनांक 13 जनवरी 1990

(1) केनरा बैंक का निदेशक मंडल, बैंककारी कंपनी, (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976 को आगे आशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाता है।

(2) संक्षिप्त नाम और आरंभ :

(1) इन विनियमों को केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (आशोधन) विनियम 1976 कहा जाए।

(2) ये, भारत के राजपत्र मे इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) आशोधन का ब्यौरा:
परिशिष्ट में दिए गए अनुसार।

क्रम सं०	विनियम संख्या	विद्यमान विनियम	विनियम का आशोधित रूपांतर (निदेशक मंडल द्वारा किए गए आशोधन को ध्यान में रखने के बाद)	निदेशक मंडल द्वारा आशोधन अपनाए जाने की तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
(1)	विनियम 6(4) अन्य नौकरियां करना	सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त किए बिना कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी सार्वजनिक निकाय या किसी निजी व्यक्ति के लिए किए गए कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं स्वीकारे।	सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त किए बिना कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी सार्वजनिक निकाय या किसी निजी व्यक्ति के लिए किए गए कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं स्वीकारेगा।	20-12-1989	
(2)	विनियम 21 अधिकारी कर्मचारी के कार्य और आचरण का समर्थन	प्रतिकूल टिप्पणी या अपकीर्ति का विषय बनने वाले किसी आधिकारिक कार्य के समर्थन के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अदालत या प्रेस की शरण नहीं ले सकता।	प्रतिकूल टिप्पणी या अपकीर्ति का विषय बनने वाले किसी आधिकारिक कार्य के समर्थन के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना किसी अदालत या प्रेस की शरण नहीं ले सकता।	20-12-1989	

1	2	3	4	5	6
		बशर्ते कि इस विनियम में बताई गई किसी भी बात का यह अर्थ न हो कि कोई कर्मचारी अपने निजी आचरण या निजी हैसियत से किए गए किसी कार्य का समर्थन नहीं कर सकता और जब कभी अपने निजी आचरण या निजी हैसियत से किए गए कार्य का समर्थन किया जाता है, अधिकारी कर्मचारी ऐसे कार्य के संबंध में अपने आसन्न उच्चाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।	बशर्ते कि इस विनियम में बताई गई किसी भी बात का यह अर्थ न हो कि कोई कर्मचारी अपने निजी आचरण या निजी हैसियत से किए गए किसी कार्य का समर्थन नहीं कर सकता और जब कभी अपने निजी आचरण का निजी हैसियत से किए गए किसी कार्य का समर्थन किया जाता है, अधिकारी कर्मचारी ऐसे कार्य के संबंध में अपने आसन्न उच्चाधिकारी को उसके द्वारा ऐसे काम के किए जाने की तारीख से तीन महीनों की अवधि के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।		

अरुण कुमार, सहायक महाप्रबंधक

देना बैंक

प्रधान कार्यालय, कार्मिक विभाग,

बम्बई-400 005, दिनांक 26 दिसम्बर 1989

सं० जी० एस० आर०—बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देना बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

1. इन विनियमों को देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) (संशोधन) विनियम, 1989 कहा जाएगा।
2. यह विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3. विनियम 6(4):

कोई भी अधिकारी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक निकाय अथवा किसी निजी व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए कोई भी शुल्क स्वीकार नहीं करेगा।

4. विनियम 21:

कोई भी अधिकारी कर्मकारी, बैंक की पूर्व स्वीकृति के अलावा, किसी ऐसे सरकारी कार्य के दोष निवारण के लिए किसी न्यायालय में याचिका नहीं करेगा या प्रेस को सूचित नहीं करेगा, जो कि विपरीत प्रायोजना या मानहानि के स्वरूप का विषय रहा हो।

बशर्ते कि इस विनियम में उल्लिखित कुछ भी उसके निजी चरित्र या उसके द्वारा निजी रूप में किए गए किसी कार्य के दोष निवारण से किसी कर्मचारी को प्रतिबंधित नहीं करेगा और यदि उसके व्यक्तिगत चरित्र या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप में किए गए कार्य के दोष निवारण की कार्रवाई की गई हो, तो अधिकारी कर्मचारी उसके द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई की तिथि से तीन महीने की अवधि के अंदर अपने अगले उच्च अधिकारी को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आर० एन० बुच
सहायक महा प्रबंधक (कार्मिक)

दी इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाऊन्टेन्टस आफ इंडिया

नई दिल्ली 110002, दिनांक 7 फरवरी 1990

सं० 28-आर०सी० (3)/4/90—चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन 1988 के रेगूलेशन 159 (1) के अनुसरण में दि कोसिल आफ दि इंस्टीटूयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया को 20 दिसम्बर, 1989 से कटक में पूर्व भारत क्षेत्रीय परिषद की शाखा स्थापित करने की सूचना देते हुए प्रसन्नता है। यह शाखा पूर्व भारत क्षेत्रीय परिषद की कटक शाखा मानी जाएगी।

रेगूलेशन 159(3) के अन्तर्गत जैसा कि निर्धारित है यह शाखा क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से परिषद के नियंत्रण, पर्यवेषण एवं निर्देशन में कार्य करेगी और सभी उन निर्देशों का पालन करेगी जो कि परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

सं० 28-आर० सी०/4/22/90—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रेगूलेशन 1988 के रेगूलेशन 159 (1) के अनुसरण में दि कौंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया को 20 दिसम्बर, 1989 से धनबाद में मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद की शाखा स्थापित करने की सूचना देते हुए प्रसन्नता है। यह शाखा मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद की धनबाद शाखा मानी जाएगी।

रेगूलेशन 159 (3) के अन्तर्गत जैसा कि निर्धारित है यह शाखा क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से परिषद के नियंत्रण, पर्यवेषण एवं निर्देशन में कार्य करेगी और सभी उन निर्देशों का पालन करेगी जो कि परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 फरवरी, 1990

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/1157—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—I

क्षेत्र तमिलनाडु।

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड-संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि।	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मैसर्स इण्डियन गैरेज एण्ड बी० टी० पदमनाभन एण्ड ब्रदर्स, 144, अन्ना रोड़ मद्रास-2	टी०एन०/8326, टी०एन/8459	एस-35014(316)83-पी०एफ-II एस० एस-II दिनांक 29-1-87	27-1-90	28-1-90 से 27-1-93
2.	मैसर्स बी० एस० टी० मोटरस लि०, 144, अन्ना रोड़, मद्रास-2	टी०एन/3045	एस-35014(314)-83-की०एफ-II एस० एस०-II, दिनांक 29-1-87	27-1-90	28-1-90 से 27-1-93
3.	मैसर्स बी० एस० टी० सर्विस स्टेशन, (बैल्लोर) गांधी नगर, बल्लोर-6	टी०एन/3045 (बी)	एस-35014(312)83-पी०एफ०-II एस० एस०-II दिनांक 29-1-87	27-1-90	28-1-90 से 27-1-93
4.	मैसर्स फैसिट एशिया लि०, पेरूनगुड़ी, मद्रास-600096	टी०एन/4805	एस-35014(282)82-पी०एफ-II (एस० एस-II) दिनांक 8-4-86	31-12-88	1-1-89 से 31-12-91

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा

प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1145.—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत निधि आयुक्त मध्य प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची—1

क्षेत्र : राजस्थान

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि
1	2	3	4
1	मैसर्स सेन्ट एन्सलमस हायर सैकन्ड्री स्कूल, अजमेर	आर० जे/3264	1-1-1989
2	मैसर्स तिरूपति स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, पुर रोड़, भीलवाड़ा-311001	आर० जे/4881	1-1-1989

अनुसूची–II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्यों के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

स 2/1959/डी. एल. आई/एक्जाम/89/भाग-I/1151.—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची—I

क्षेत्र: मध्य प्रदेश

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स दुर्ग रोडवेज प्रा० लि०, जी० ई० रोड, दुर्ग (म० प्र०)	एम० पी/612	1-8-1988	2/2189/89 बी० एल०आई०
2	मैसर्स जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मेवित गुना (मध्य प्रदेश)	एम० पी/1168	1-9-1987	2/2200/89 ,,
3	मैसर्स भिलाई सीमेंट पाइप मैन्यूफैक्चरिंग कं० पी० ओ० इंडस्ट्रीयल इस्टेट, भिलाई-490026 (म० प्र०)	एम० पी/1588	1-7-1988	"ख" 2/2201/89 ,,
4	मैसर्स ग्वालियर फोरेस्ट प्रोडक्टस लि० पी० ओ० कत्था मिल्स, शिवपुरी (म० प्र०)	एम० पी/1904	1-7-1988	2/2202/89 ,,
5	मैसर्स डिस्ट्रीक को-आपरेटिव लैण्ड डेवलपमैंट बैंक लि०, धार (म० प्र०)	एम० पी/2099	1-8-1987	2/2203/89 ,,
6	मैसर्स विध्या इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्टस, प्लाट नं० 1, सैक्टर-बी, इंडस्ट्रीयल एरिया, गोविन्द पुरा भोपाल (म० प्र०) . .	एम० पी/2286	1-3-1988	2/1989/89 ,,
7	मैसर्स केशरी स्टील रोलिंग मिल्स डिविजन (ए डिविजन आफ दी रीलाइन्स जूट एण्ड इंडस्ट्रीयल लि०) न्यू इंडस्ट्रीयल एरिया, ए० बी० रोड, देवास-455001 (म० प्र०)	एम० पी/3360-ए	1-3-1988	2/2204/89 ,,
8	मैसर्स केशरी स्टील्स मिनी स्टील्स डिवीजन (ए डिविजन आफ दी रीलाइन्स जूट एण्ड इंडस्ट्रीयल लि०) न्यू इंडस्ट्रीयल एरिया, ए० बी० रोड, देवास (म० प्र०)	एम० पी/3360-ए	1-3-1988	2/2205/89 ,,
	मैसर्स साऊथ इण्डियन कल्चरल एसोशिएशन, एच० एस० स्कूल, स्कीम-54, विजय नगर, इन्दौर।	एम० पी/4001	1-12-1988	2/2206/89 ,,

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक

बीमा स्कीम के अधीन उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 6 फरवरी 1990

सं० पी०-11/1(1)/84/आर० आर०—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-घ की उपधारा 7(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत विधि सहायक के पद के भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्,:—

1. लघु नाम और आरंभ:—

(1) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विधि सहायक भर्ती नियम, 1990 कहलाएंगे ।

(2) यह नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. लागू होना:—

ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पदों के लिए लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों की उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 के अनुसार होंगे ।

4. भर्ती की रीति, आयु सीमा और अन्य योग्यताएं आदि :—भर्ती की रीति आयु सीमा, योग्यताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में उल्लिखित रीति के अनुसार होंगे ।

5. अयोग्यताएं: वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पहली पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा ।

बशर्ते कि केन्द्रीय बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीयविधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवतन से छूट दे सकेगा ।

6. शिथिल करने की शक्ति:—

जहां केन्द्रीय बोर्ड की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को लागू, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

7. अपवाद:—

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार यह नियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे ।

टिप्पणी:—

इन नियमों के प्रकाशन में परिणामस्वरूप, मुख्यालय में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के संवर्ग को मृत संवर्ग माना जाएगा क्योंकि कनिष्ठ तकनीकी सहायक तथा विधि सहायक को सौंपे गए कार्य तथा दायित्व समान है तथा उनके वेतनमान भी समान है। फिर भी इन नियमों के लागू होने से मुख्यालय में कनिष्ठ तकनीकी सहायक जो कि इन नियमों के लागू होने की तारीख को नियमित आधार पर कार्यरत है, के पदोन्नति अवसरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेंगे।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण पद है या अप्रवरण	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत बढ़ाए गए वर्षों की सेवा का लाभ स्वीकार्य है।	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शिक्षा संबंधी और अन्य अपेक्षित योग्यताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विधि सहायक	24 (1990)*	ग्रुप "ग" लिपिकीय	1400-40-1800-द० रो०- 50-2300	लागू नहीं है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा संबंधी योग्यताएं पदोन्नत होने वालों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है।	भर्ती की रीति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/तबादले द्वारा और विभिन्न रीतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	भर्ती के मामले में पदोन्नत/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण, किसी ग्रेड से पदोन्नत/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन किस प्रकार होगा	भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग के किन परिस्थितियों में परामर्श करना
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	संबंधित क्षेत्रों/कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी द्वारा, ऐसा न होने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिनकी निम्नलिखित योग्यता हो: अनिवार्य योग्यता:— (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि में डिग्री या इसके समकक्ष।	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			(2) 1400–2300/- रु० के वेतनमान या समान पद पर नियमित आधार पर पद धारण किए हों या 1200–2040/-रु० के वेतनमान में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की हो । वांछनीय : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभागों में विधि कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो । या योग्य विधि व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) होना चाहिए जिसने कम से कम न्यायालय में 2 वर्ष तक विधि व्यवसाय (प्रैक्टिस) किया हो । (इसी संगठन या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति/ठेके की अवधि इस नियुक्ति से एकदम पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/ठेके की अवधि मिलाकर साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

नई दिल्ली–110 001, दिनांक 30 जनवरी 1990

सं० 1/90—यह अधिसूचित किया जाता है कि निगम का शेयर रजिस्टर बंद कर दिया जाएगा और हस्तांतरणों का पंजीकरण 17 मार्च से 31 मार्च, 1990 (दोनों दिनों सहित) तक निलम्बित रहेगा ।

बोर्ड के आदेश से

एच० सी० शर्मा,
महाप्रबन्धक

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
सचिवालय

देहरादून, दिनांक 20 दिसम्बर 1989

सं० सैक/आर० आर०/3/7/89—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 (1959 का 43) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (मृत्यु, सेवानिवृत्ति तथा सेवान्त उपदान) विनियम 1969 का और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. (1) ये विनियम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (मृत्यु, सेवानिवृत्ति, तथा सेवान्त उपदान) (संशोधन) विनियम 1989 कहे जा सकेंगे ।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (मृत्यु, सेवानिवृत्ति, तथा सेवान्त उपदान) विनियम 1969 के विनियम 4 के उपविनियम (2) में :—

(1) प्रथम परन्तुक विलुप्त कर दिया जाएगा;

(2) द्वितीय परन्तुक में आरम्भिक शब्द "परन्तु यह और" के स्थान पर "परन्तु यह" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

एम० एल० डोरा,
सचिव तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

पाद टिप्पणी:—

मूल विनियम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की अधिसूचना सं० 17(4)/65 रेग, दिनांक शून्य के अधीन दिनांक 17 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र के भाग 3 खण्ड–4 में पृष्ठ 31 से 33 तक प्रकाशित हुए और बाद में उन्हें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया :—

(1) अधिसूचना सं० 17(4)/74–रेग० भारत के राजपत्र भाग–III सैक्शन 4 दिनांक 12–4–1975 को प्रकाशित ।

(2) अधिसूचना संख्या 17(4)/75–रेग० भारत के राजपत्र भाग-III सैक्शन 4 दिनांक 4–6–1977 को प्रकाशित ।

(3) अधिसूचना संख्या–17 (4)/79 रेग, दिनांक 12 जून 1980 भारत के राजपत्र में भाग III सेक्शन–4 में दिनांक 28-6-1980 को प्रकाशित ।

(4) अधिसूचना सं–17 (4)/80 रेग, दिनांक 13-2-1981 भारत के राजपत्र में भाग III सैक्शन–4 में दिनांक 21-2-81 को प्रकाशित ।

(5) अधिसूचना सं० 17 (4)/80 रेग० 17–1–1986 भारत के राजपत्र के भाग III सैक्शन 4 में दिनांक 22–2–1986 को प्रकाशित ।

(6) अधिसूचना सं० सैक०/आर० आर०/37/88 दिनांक 17 अक्तूबर, 1988 भारत के राजपत्र के भाग–III सैक्शन 4 में दिनांक 5 नवम्बर, 1988 को प्रकाशित ।

लेखा विवरण 1987–88

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

सामान्य खाते एवं तुलन पत्र 1987–88

आय एवं व्यय

आय	वास्तविक आंकड़े		आय	वास्तविक आंकड़े	
	रु०	रु०		रु०	रु०
1 प्रशासन			(ग) अनुरक्षण		
वेतन	1,71,35,677		अनुदान खाता		
अन्य प्रभार	30,18,005		1. दर्मादा एवं अनुदान		
सामान्य सेवाएं तथा विविध प्रभार	1,84,49,221		(अ) नियोजन से आय		8,10,405
		3,86,02,903	(ब) अनुदान		
2 शैक्षिक विभाग :—			विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	25,30,00,000	
(अ) संकाय			राज्य प्रशासन	2,62,000	
वेतन	6,32,75,674				25,32,62,000
अन्य प्रभार	82,27,241		2. छात्रों से प्राप्त शुल्क —		
		7,15,02,915	शैक्षिक	17,66,621	
(ब) महा विद्यालय :—			परीक्षा	8,16,606	
वेतन	74,27,858				25,83,227
अन्य प्रभार	13,77,907		3. छात्रावास		
		88,05,765	छात्रावास शुल्क	4,98,173	
सामान्य शिक्षा केन्द्र :—			अन्य शुल्क	8,33,223	
वेतन	6,44,046				13,31,406
अन्य प्रभार	62,213		4. भवनों, भूमि एवं सम्पत्तियों से आय		
		7,06,259	भवन	7,53,586	
परीक्षाएं —			भूमि एवं उद्यान	3,46,906	
वेतन	22,08,370				10,90,492
अन्य प्रभार	48,06,488		5. प्रकाशन		23,983
		70,14,858	6. अन्य विभाग —		
4. एम० ए० पुस्तकालय—			भवन निर्माण विभाग	5,715	
वेतन	33,66,831		सम्पत्ति विभाग	19,965	
अन्य प्रभार	50,35,195				25,680
		84,00,026	7. विद्युत विभाग —		
5. छात्रों को सुविधाएं :—			विद्युत प्रदाय सेवायें—		1,04,71,130
वेतन	19,10,049		8. प्रकीर्ण		6,05,031
अन्य प्रभार	5,81,584				
		24,91,633			

व्यय	वास्तविक आंकड़े		आय	वास्तविक आंकड़े	
	रु०	रु०		रु०	रु०
6. अधिष्ठातवृत्तियां एवं छात्रवृत्तियां—		56,24,412	अनुदान खाता—		
7. छात्रावास			9. विद्यालय—		
वेतन	1,77,98,910		छात्रों से प्राप्त शुल्क	2,02,034	
अन्य प्रभार	5,13,935		छात्रावास	11,969	
		1,83,12,845	प्रकीर्ण	1,24,601	
8. प्रकाशन	(अ) अनुरक्षण				3,38,604
वेतन	2,13,662		योग—मुख्य विश्वविद्यालय		27,05,41,958
अन्य प्रभार	45,624				
		2,59,286	10. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय—		2,81,979
9. अन्य विभाग—			प्रकीर्ण प्राप्तियां		
वेतन	98,36,644		11. तहजीबुल अखलाक/निशांत—		78,181
अन्य प्रभार	81,91,533				
		1,80,28,177			
10. सहायक सेवायें—					
वेतन	25,50,786				
अन्य प्रभार	91,75,624				
		1,71,26,410			
11. प्रकीर्ण—					
(i) अवकाश वेतन	65,95,155				
(ii) वेतन (बी० सी० डी० स्टाफ केटेगेरी)	1,14,44,606				
(iii) वेतन पुनरीक्षण के निमित्त हस्तांरित धनराशि यू० जी० सी० का पत्रांक एफ 21-9-88 (sp—1) दिनांक 2-5-1988	1,23,80,000				
(iv) अवकाश नगदीकरण	5,39,537				
(v) अन्य प्रभार		3,94,96,015			
12. विद्यालय—					
वेतन	83,77,260				
अन्य प्रभार	5,57,295				
	36,717	89,34,555			
13. भविष्य निधि एवं निवृत्ति वेतन		1,40,36,858			
14. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय					
(i) वेतन	1,32,14,399				
(ii) अन्य प्रभार	35,30,603				
		1,67,45,002			

15. सहजीवुल अखलाक एवं निशांत	45,286 1,67,024	2,12,310
योग		27,09,00,229
व्यय से आय की अधिकता		1,889
महायोग —अनुरक्षण अनुदान खाता		27,09,02,118

महायोग—अनुरक्षण अनुदान खाता 27,09,02,118

ह० (सै० फजल अब्बास नक्वी)
सहायक वित्त अधिकारी

ह० (सै० शफीक अहमद)
उप वित्त अधिकारी
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

ह० (ए० एच० खां०)
वित्त अधिकारी
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

आय एवं व्यय खाता 1987–88

व्यय	वास्तविक आंकड़े		आय	वास्तविक आंकड़े	
	रु०	रु०		रु०	रु०
उच्च शिक्षा एवं शोध विकास—			अनुदान खाता—		
(i) षष्टम एवं सप्तम संयोजित योजनाएं—			(i) पंचम तथा छठी योजना हेतु सहायक अनुदान		45,41,583
शैक्षिक विभाग	53,43,980		(ii) विशेष विकास योजनायें		11,58,760
वेतन एवं भत्ते	1,41,386		(iii) प्रकीर्ण योजनाओं हेतु सहायक अनुदान		22,07,090
छात्रवृत्ति एवं अधिछात्रवृत्तियों	13,41,224				
अन्य प्रभार		68,26,590			
(ii) विशेष विकास पंचम एवं छठी योजना पर परियोजनायें			योग		79,07,433
वेतन एवं भत्ते	6,11,975		अतिरिक्त व्यय		25,61,630
अन्य प्रभार	3,3000,449				
छात्रवृत्ति एवं अधिछात्रवृत्तियों	1,22,729	10,65,163			
(iii) प्रकीर्ण योजनायें—					
विश्व विद्यालय स्तर की पुस्तकों का अवलेखन	25,500				
शिक्षकों को वित्तीय सहायता	14,235				
विचार गोष्ठी परिसंवाद तथा सम्मेलन	2,30,903				
शिक्षकों को यात्रा अनुदान	1,51,017				
अनिर्दिष्टित अनुदान	2,54,817				
अन्य योजनाएं	19,00,848	25,77,320			
योग		1,04,69,063			
योग —विकास अनुदान		1,04,69,063	योग—विकास अनुदान खाता		1,04,69,063

ह० (सै० फजल अब्बास नकवी)
ह० सहायक वित्त अधिकारी

ह० (एस० शफीक अहमद)
उप वित्त अधिकारी
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

ह० (ए० एच० खां०)
वित्त अधिकारी
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

तुलन पत्र 31 मार्च 1988

दायित्व	धनराशि	धनराशि
	रु०	रु०
सामान्य खाता		
स्थाई सन्दान निधि—		
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 के नियम 40 की धारा 7 के अन्तर्गत लगाये धन का पूंजीकृत मूल्य		39,00,900
स्थाई आरक्षित निधि—		
हस्तान्तरित अवशेषों तथा दान का पूंजीकृत मूल्य		42,42,082
विशेष चल आरक्षित निधि—		10,42,221
दान आदि का पूंजीकृत मूल्य		10,40,221
चल आरक्षित निधि—		
दान आदि का पूंजीकृत मूल्य एवं अनुदान		3,76,554
न्यास निधि—		
दान का पूंजीकृत मूल्य	12,15,368	
निधि की अविनियोजित ब्याज का अवशेष	1,40,461	
		13,55,829
प्रकीर्ण न्यास—		5,01,582
अवमूल्यन निधि		
भवन निधि	1,23,25,534	
अभियांत्रिक महाविद्यालय निधि	9,43,845	
महिला महाविद्यालय निधि	23,560	
		1,32,92,949
प्रकीर्ण आरक्षण एवं आकलन शेष—		
उन कर्मचारियों का जिन्होंने निवृत्त वेतन का विकल्प लिया है		
उनकी भविष्य निधि की साख पर विश्वविद्यालय अंशदान	1,30,64,230	
राष्ट्रीय सेवा योजना	23,493	
छात्र सेवा निधि	77,077	
अन्तर्निधि अग्रिम	1,43,77,657	
अनिवार्य सामूहिक बचत योजना	21,824	
इतिहास की पुस्तकों के प्रकाशन हेतु प्रमत निधि	4,03,368	
निलम्बित प्राप्तियां	2,15,891	
कर्मचारियों के वेतन के पुनरीक्षण हेतु अनुदान	5,044	

परिसम्पत्ति	धनराशि	
	रु०	रु०
विनियोजन—		
विविध नियोजन (विनियोग)—		
राजकीय प्रतिभूतियां	1,58,204	
मावधि निक्षेप	10,49,25,027	
		10,50,83,231
भवन		16,20,59,239
उपकरण		10,14,79,342
वाहन		13,14,498
उपस्कर		56,52,438
पुस्तकें		1,53,61,750
प्रकीर्ण विकलन अवशेष—		
सामान्य खाते—		
स्थाई अग्रिम	49,197	
निलम्बित खाता	10,061	
प्रकीर्ण अवशेष विवरण 4 के आलम्क के अनुसार	21,272	
अनिवार्य सामूहिक बचत योजना	2,080	
		82,610
विकास अनुदान छात्रवृत्ति खाता—		
आय से व्यय की अधिकता		15,99,365
सी० एस० आई० आर०/ यू०जी० सी० शोध छात्रवृत्तियां तथा बालिका पालिटेकनिक की छात्र वृतियां		
विकास अनुदान खाता—		
यूनानी औषधियों में अनुसन्धान तिब्बिया कालिज (भारत सरकार)	974	
साहित्य अनुसन्धान तिब्बिया कालिज (भारत सरकार की योजना)	23,602	
पोस्ट पार्टम योजना (उत्तर प्रदेश सरकार)	5,82,674	
कुल्लियात तथा मुआलिजात विभागों के विकास हेतु भारत सरकार का अनुदान	61,996	
निलम्बित खाता	1,65,564	
		8,34,810

एफ 21-9/88 (एन पी०-1) दिनांक 2-5-1988	1,26,49,663	
अनुरक्षण अनुदान खाता		4,08,38,248
आय की व्यय के अधिक्य 1987-88		1,889
विकास अनुदान खाता—		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूंजीकृत अनुदान—		
भवन	13,58,21,698	
पुस्तकें	1,69,67,877	
उपकरण	11,19,28,032	
उपस्कर	58,57,288	
अनुदानों का निक्षेप खाता—		
इल्मुल अदविया में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु		
भारत सरकार का अनुदान		48,173
निलम्बित प्राप्तियां (विवरण सं० 4 अनुसार)		7,19,734
विकास अनुदानी छात्रवृत्ति खाता—		
अनुदानों/का निक्षेप खाता—		
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद		12,19,338
आई० सी० सी० एस० आर० इत्यादि.		6,23,127
अन्त निधि अग्रिम		1,85,967
निर्माण खाता—		
सरकार तथा अन्य एजेन्सीज द्वारा पूंजीकृत मूल्य—		
फोर्ड फाउन्डेशन	21,94,321	
कुवैत सरकार	1,00,000	
ईरान के गणतन्त्र द्वारा अनुदान	1,13,000	
महामहिम शाह सउद अनुदान	3,20,322	
यूनियन स्कूल के निर्माण हेतु लीबिया सरकार अनुदान	20,000	
100 कमरों के निर्माण हेतु लीबिया सरकार अनुदान	3,22,223	
जम्मू कश्मीर शासन द्वारा अनुदान	6,96,820	
हाजी सईद अब्दुल मजीद अल बावतैम (स्कूल के निर्माण हेतु अनुदान)	10,37,624	
शेख सालेह कमाल और शेख हुसैन अली अल हरीरी	3,991	
डा. हसन कमाल	11,74,825	
श्री [illegible] परवेज	1,38,457	
एम० एस० आर्ट (विभिन्न हालों के लिए पुस्तकों का क्रय हेतु अनुदान)	96,481	
एम० एल० नायर अनुसन्धान कार्य	4,300	
श्री इशरत हुसैन छात्रवृत्ति	20,000	
श्री मो० अमजद अली	2,79,537	

—आय एवं व्यय खाता		
—व्यय से आय की अधिकता विकास		
अनुदान खाता		54,67,068
—अन्तर्निधि अग्रिम		66,89,902
निक्षेप खाता—		
प्रकीर्ण विकलन अवशेष	1,27,509	
ऋण तथा अग्रिम (आलग्नक 4 के अनुसार)	44,64,234	
एल० आई० एच० मलेरिया योजना—हवाई विश्वविद्यालय के सहयोग से	24,617	
इनवेस्टीगेशन आन न्यूट्रीशन फिन फिश प्रन्डर डा० ए० के० जाफरी जन्तु विज्ञान विभाग	4,490	
		46,20,850
भविष्य निधि खाता—		
गृह निर्माण हेतु अग्रिम		48,99,381
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि—		
अन्तर निधि अग्रिम	2,28,063	
आयु विज्ञान अध्ययन हेतु अग्रिम	4,843	
		2,32,906
स्वर्ण जयन्ती निधि—		
आय से व्यय की अधिकता		3,891
ए० एम० यू० विकास अनुदान खाता—		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया (अलीगढ़)		34,27,621
ए० एम० यू० विकास छात्रवृत्ति खाता		4,29,067
ए० एम० यू० निक्षेप खाता—		
स्टेट बैंक आफ इंडिया		10,69,238
सिन्डीकेट बैंक		
मु० यू० शाखा (अलीगढ़)		4,345
ए० एम० यू० भविष्य निधि खाता—		
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	14,72,768	
ए० एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		
डाकघर	1,326	
इलाहाबाद बैंक, ए० एम० यू० (अलीगढ़)	1,92,130	
		16,66,224
ए० एम० यू० रिवोल्विंग निधि—		
गृह निर्माण अग्रिम		33,05,399

दायित्व	धनराशि		परिसम्पत	धनराशि	
	रु०	रु०		रु०	रु०
डा० एम० सी० सहा	10,000		आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि—		
श्री सईद अहमद कमाली	1,50,000		स्टेट बैंक आफ इण्डिया, एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		15,588
सम्मान हेतु अनुदान	2,454		डा० अली मोहम्मद वक्फ निधि—		
		66,75,335	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		21,078
प्रकीर्ण अनुदान एवं निक्षेप—			स्वर्ण जयन्ती निधि—		
(i) पी० एल० 480 के कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान	7,621		स्टेट बैंक आफ इण्डिया, एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		2,197
(ii) स्टडीज आन माइनर प्रोजेक्ट अकाउन्ट अन्डर डा० एस० एम. उसमान रसायन विज्ञान विभाग	34,626		परमानेन्ट इस्लामिक सोलिडेरिटी निधि—		
(iii) केसर मोन सीड आयल का विश्लेषण अन्डर डा० एस० एम. उसमान रसायन विज्ञान	1,39,282		स्टेट बैंक आफ इण्डिया, एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		7,117
(iv) परियोजना डी० एस० सी० आई एल० 664 कार्बो कैमिस्ट्री डा० सलाहुद्दीन	12,81,040		बीबी फातिमा वक्फ—		
(v) जमानतों का निक्षेप खाता	17,66,245		स्टेट बैंक आफ इण्डिया, एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		38,237
(vi) प्रकीर्ण आकलन अवशेष (विवरण 4 के अनुसार)	18,09,517		भारतीय स्टेट बैंक का संघात अर्थशास्त्र में चेयर की स्थापना हेतु—		
(vii) उपकुलपति निधि	61,81,342		स्टेट बैंक आफ इण्डिया, एम० यू० शाखा (अलीगढ़)		2,956
(viii) एस० एम० हाल कैन्टीन	55,444		शेख जैद पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट—		
		1,12,75,327	सिन्डीकेट बैंक, शाखा (अलीगढ़)		4,63,265
भविष्य निधि खाता—			छात्र वृत्ति खाता—		
भविष्य निधि	6,58,59,378		इलाहाबाद बैंक—		5,14,867
कम्पनी हेतु प्राप्तियां	24,811		अग्रिम रोकड़ अवशेष		9,79,085
अन्तर निधि अग्रिम	21,89,417		अग्रिम रोकड़ अवशेष—		
		6,80,73,606	सामान्य खाता		1,52,44,881
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निधि—			ए० एम० यू० स्टूडेन्ट वैलफेयर फन्ड		16,258
दानों का पूंजीकृत मूल्य		61,61,324			
डा० अली मोहम्मद वक्फ निधि					
दानों का पूंजीकृत मूल्य	3,53,388				
आय से व्यय की अधिकता	5,927				
		3,59,315			
स्वर्ण जयन्ती—					
दानों का पूंजीकृत मूल्य		1,45,981			
शेख जैद पट्रोलियम इन्स्टीट्यूट—					
शेख जैद के दान का पूंजीकृत मूल्य	25,97,621				
आय से व्यय की अधिकता	11,53,794				
		37,51,415			

परमानेंट इस्लामिक सोलिडेरिटी निधि—				
दानों का पूंजीकृत मूल्य	2,34,164			
आय से व्यय की अधिकता	343			
		2,34,507		
बीबी फातिमा वक्फ—				
केन्द्रीय वक्फ परिषद से प्राप्त ऋण का पूंजीकृत मूल्य		90,326		
भारतीय स्टेट बैंक का संदान—				
अर्थशास्त्र में चेयर की स्थापना हेतु—पूंजीकृत मूल्य		2,956		
ए० एम० यू० रिवोल्विंग निधि हेतु प्राप्त गृह निर्माण अग्रिम—				
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त धनराशियों				
का पूंजीकृत मूल्य	42,39,181			
आय से व्यय की अधिकता	11,70,496			
		54,09,677		
छात्रवृत्ति खाता —				
दानों का पूंजीकृत मूल्य		14,93,952		
ए० एम० यू० स्टूडेन्ट वेलफेयर फण्ड—				
दानों का पूंजीकृत मूल्य	8,82,200			
आय से व्यय की अधिकता	12,258	8,94,458		
महायोग		44,25,88,757	महायोग	44,25,88,757

ह० (सै० फजल अब्बास नकवी)
सहायक वित्त अधिकारी

ह० (एस० शफीक अहमद)
उप वित्त अधिकारी
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

ह० (ए० एच० खान)
वित्त अधिकारी,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने 31 मार्च 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी, अलीगढ़ के लेखाओं और तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में गई अभियुक्तियों के अध्यधीन अपनी लेखा परीक्षा के परिणाम स्वरूप में प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किए गए उल्लेख के अनुसार, ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार कार्य किये गये हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी, अलीगढ़ के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह० (वि० अ० महाजन)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

स्थान : इलाहाबाद
दिनांक : 21 दिसम्बर 1988

विवरण 'अ'—तुलन पत्र का आवश्यक

प्रकीर्ण निधियों तथा विनियोजनों का विवरण 31 मार्च 1988

खातों का शीर्षक	विनियोजन	भवन	पुस्तकें	उपकरण तथा वाहन	उपस्कर	ऋण तथा अग्रिम	अन्तरनिधि अग्रिम	प्रकीर्ण अग्रिम तथा विकलन शेष	रोकड़ शेष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
ए. एम० यू० सामान्य खाता—										
स्थाई सदान निधि	30,00,000	—	—	—	—	—	—	—	—	30,00,000
स्थाई आरक्षित निधि	41,28,204	1,13,878	—	—	—	—	—	—	—	42,42,082
विशेष चल आरक्षित निधि	31,700	10,03,296	—	—	—	—	—	—	5,225	10,40,221
चल आरक्षित निधि	15,424	3,61,130	—	—	—	—	—	—	—	3,76,554
न्यास निधि	10,59,572	1,50,802	—	—	—	—	—	—	1,45,455	13,55,829
अवमूल्यन निधि	2,90,525	—	—	—	—	—	—	—	2,11,057	5,01,582
भवन निधि	—	1,23,25,534	—	—	—	—	—	—	—	1,23,25,534
अभियान्त्रिक महाविद्यालय निधि	—	9,43,845	—	—	—	—	—	—	—	9,43,845
महिला महाविद्यालय निधि	—	23,560	—	—	—	—	—	—	—	23,560
चालू व्यय निधि	1,28,10,153	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अनुरक्षण अनुदान खाता	1,30,64,230	—	—	—	—	—	—	82,610	1,48,83,144	4,08,40,137
योग सामान्य निधि	3,43,99,808	1,49,22,045	—	—	—	—	—	82,610	1,52,44,881	6,46,49,344
ii मु० वि० विकास अनुदान खाता—	—	13,36,91,906	1,52,04,589	10,03,96,808	56,30,098	—	66,89,902	63,01,878	34,27,621	27,13,42,802
iii विकास अनुदान छात्र वृत्ति खाता—	—	—	—	—	—	—	—	15,99,365	4,29,067	20,28,432
iv मु० वि० निक्षेप खाता—										
फोर्ड फाउन्डेशन खाता	—	20,19,168	39,956	1,14,113	21,005	—	—	—	79	21,94,321
लीबिया दूतावास द्वार स्कूल निर्माण	3,00,000	21,922	—	—	—	—	—	—	301	3,22,223
स्कूल निर्माण	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	20,000
जम्मू कश्मीर सरकार का अनुदान	—	6,86,820	—	10,000	—	—	—	—	—	6,96,820
कुवैत अनुदान	—	72,475	—	5,214	1,335	—	—	—	20,976	1,00,000
कुवैत स्कूल	—	8,89,358	—	—	—	—	—	—	1,48,266	10,37,624
शाह सऊद द्वारा अनुदान	2,92,929	—	—	—	—	—	—	—	27,393	3,20,322
गण तन्त्र ईरान द्वारा अनुदान	—	—	1,10,694	—	—	—	—	—	2,306	1,13,000
उपकुलपति निधि	11,92,993	21,07,242	—	22,67,705	—	—	—	—	6,13,402	61,81,342
यात्रा हेतु अनुदान		—	—	—	—	—	—	—	2,454	2,454

शेख सालेह कमाल हुसैन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अली अल हरीबी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
डा० हसन कमाल	3,52,780	8,14,012	—	—	—	—	—	—	3,991	3,991
श्री सलाहुद्दीन परवेज	1,38,437	—	—	—	—	—	—	—	8,033	11,74,825
एस० एस० हाल केन्टीन	55,444	—	—	—	—	—	—	—	—	55,444
श्री इशरत हुसैन छात्रवृत्ति	20,000	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000
एस० एस० मार्ट डोनेशन (हाल की पुस्तकों की खरीद के लिए)	—	—	—	—	—	—	—	—	96,481	96,481
एम० एल० नायर अनुसंधान कार्य	—	—	—	—	—	—	—	—	4,300	4,300
डा० एन० सी० सहा	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	10,000
डा० अमजद अली	2,60,000	—	6,511	—	—	—	—	—	4,026	2,70,537
सबीह अहमद कमाली	1,50,000	—	—	—	—	—	—	—	—	1,50,000
प्राकीर्ण अवशेष	2,11,684	94,382	—	—	—	—	44,64,234	1,56,616	1.11,625	50,38,541
					22,340	—	44,64,234	1,56,616	10,73,633	1,79,50,662
योग	29,74,267	67,05,379	1,57,161	23,97,032						
(v) मु० वि० आयुर्विज्ञान	—	59,12,830	—	—	—	—	2,28,063	4,843	15,588	61,61,324
(vi) डा० वली मोहम्मद वक्फ निधि	3,38,237	—	—	—	—	—	—	—	21,078	3,59,315
(vii) भारतीय स्टेट बैंक (चेयर इन अर्थशास्त्र विभाग	—	—	—	—	—	—	—	—	2,956	2,956
(viii) शेख जैद इन्सटिट्यूट आफ पैट्रोलियम टेकनोलाजी	25,97,621	6,90,529	—	—	—	—	—	—	4,63,265	37,51,415
(ix) स्वर्ण जयन्ती निधि	55,432	84,461	—	—	—	—	—	3,891	2,197	1,45,981
(x) भविष्य निधि	6,15,07,998	—	—	—	—	—	—	48,99,384	16,66,224	6,80,73,606
(xi) बीबी फातिमा सन्दान	—	52,089	—	—	—	—	—	—	38,237	90,326
(xii) मु० वि० प्रांगण विकास हेतु अनुदान	2,27,390	—	—	—	—	—	—	—	7,117	2,34,507
(xiii) ए० एम० यू० रिवोल्विंग निधि गृह निर्माण हेतु अग्रिम	21,04,278	—	—	—	—	—	—	—	33,05,399	54,09,677
(xiv) ए० एम० यू० छात्रवृत्ति खाता	—	—	—	—	—	—	—	5,14,867	9,79,085	14,93,952
(xv) ए० एम० यू० स्टूडेंट वेल्फेयर निधि	8,78,200	—	—	—	—	—	—	—	16,258	8,94,458
योग	10,50,83,231	16,20,59,239	1,53,61,750	10,27,93,840	56,52,438	—	1,13,82,199	1,35,63,454	2,66,92,606	44,25,88,757

तुलन पत्र का आलग्नक 'ब'

प्रकीर्ण निधियों और विनियोजनों का विवरण

31 मार्च 1988

खातों का शीर्षक	धन	धन
	रु०	रु०
दायित्व—		
स्थाई सन्दान निधि	—	30,00,000
स्थाई आरक्षित निधि	10,05,831	
एच० ई० एच० निजाम दारा दान	2,78,578	
वेल्स के प्रिन्स का विज्ञान विद्यालय हेतु अनुदान खाता	1,39,027	
सर सय्यद अहमद खां स्मारक निधि	55,333	
एम० ए० ओ० महाविद्यालय की पूंजी	—	
हस्तान्तरित—		
चल आरक्षित निधि	4,51,147	
चालू व्यय खाता	70,084	
अनुरक्षण अनुदान खाता	22,42,082	
		42,42,082
विशेष चल आरक्षित निधि—		
भूतपूर्व शाह देशीय राज्यों से अनुदान		
(i) विज्ञान महाविद्यालय	2,48,479	
(ii) विमान चालन क्लब	50,000	
भागलपुर राज्य अनुदान—		
सामान्य भवन हेतु	65,000	
महमदाबाद राज्य द्वारा सामान्य भवनों	38,000	
	4,01,479	
सन्दान निधि—		
शाहजहांपुर वक्फ	1,150	
फजलेहक वक्फ	4,500	
बवायू वक्फ	550	
	6,200	
निष्क्रान्त सम्पत्ति क्रय हेतु		
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान	1,89,000	
पूंजीगत अनुदान—		
प्रोफेसर मुहिनउद्दीन द्वारा कालादीर्घा	21,376	
सामान्य भवन	500	

खातों का शीर्षक	धन	धन
	रु०	रु०
पुस्तकें—	15,877	
तिब्बिया कालिज में 50 शय्याओं हेतु वार्ड निर्माण		
दवाखाना तिब्बिया महाविद्यालय	50,000	
उत्तर प्रदेश सरकार	50,000	
	1,37,753	
प्रकीर्ण —		
कलादीर्घा हेतु नियोजन पर ब्याज	2,400	
नसीरउद्दीन खाँ निवासी शाहजहांपुर द्वारा वक्फ किए गए		
घर की लागत	1,600	
आचिनलेक स्मारक निधि	99,954	
पार्टिसिपेटिंग खाता	1,50,415	
प्रकीर्ण प्राप्तियां	50,451	
	1,169	
		10,40,221
चल आरक्षित निधि—		
पूंजी निधि	3,51,784	
निम्न हेतु दान—		
मु० वि० इतिहास संकलन	300	
अमीर खुसरो निधि	434	
कानून मसूदी निधि	3,436	
सामान्य प्रयोजन	7,000	
भूमि प्रतिकर	13,600	
		3,76,554
न्यास निधि—		
पृथक विवरण खाता (आलग्नक 4 का खाता)	—	13,55,829
आयुर्विज्ञान निधि—		
अनुदान—		
राज्यों से	16,05,000	
व्यक्तियों से	22,99,649	
महामहिम सऊदी अरब सम्राट	10,00,000	
बम्बई के रूसी मिस्त्री	39,680	
इंग्लैंड की ई० जी० एवरेस्ट	13,723	
आय एवं व्यय लेखा	12,03,272	
		61,61,324
डा० वली मोहम्मद वक्फ अलल औलाद पूंजीकृत मूल्य स्वर्ण जयन्ती निधि		3,59,315

खातों का शीर्षक	धन	धन
	रु०	रु०
निम्न हेतु—		
सर सैयद हाऊस पुनर्निर्माण	66,967	
सर सैयद एकाडमी संस्थापन	62	
जयन्ती छात्रवृत्तियां	18,934	
विद्यालयों का संस्थापन	60,018	
		1,46,981
पूंजीगत मूल्य—		
(i) शेख जैद द्वारा पैट्रोलियम एण्ड टैकनोलोजी इंसटिट्यूट हेतु अनुदान		37,51,415
(ii) स्थाई इस्लामिक सोलिडेरिटी निधि ए० एम० यू० प्रांगण विकास हेतु अनुदान		2,34,507
(iii) बीबी फातिमा सन्दान (सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा प्राप्त)		90,326
(iv) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अर्थशास्त्र विभाग में चेयर की स्थापना		2,958
2. परिसंपत		
(a) विनियोग—		
स्थाई सन्दान	1,22,267	
स्थाई आरक्षित निधि	6,700	
विशेष चल आरक्षित निधि	29,237	
	1,58,204	1,58,204
(b) सावधि निक्षेप खाता—		
स्थाई सन्दान निधि		30,00,000
स्थाई रक्षित निधि		40,05,937
चल आरक्षित निधि		15,424
विशेष चल आरक्षित निधि		25,000
न्यास निधि		10,30,335
चल व्यय खाता		1,30,64,230
अवमूल्यन निधि		2,90,525
अनुरक्षण अनुदान निक्षेप खाता		1,28,10,163
शाह सऊद अनुदान		2,92,929
छात्रावास निर्माण—छात्र सुविधाओं के लिए		6,75,553
लीबियन सरकार		3,00,000
डा० वली मोहम्मद वक्फ अलल औलाद		3,38,237
स्वर्ण जयन्ती निधि		55,432
भविष्य निधि खाता		6,15,07,998
परमानेन्ट इस्लामिक सोलिडेरिटी निधि		2,27,390
निक्षेप खाता		2,11,684
एस० एस० हाल केन्टीन		55,444
श्री हसन कमाल दान		3,52,780
सलाउद्दीन परवेज दान		1,38,437

5	खातों का शीर्षक		धन	धन
	ध		रु०	
	शेख जैद इन्स्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम			25,97,621
	ए० एम० यू० रिवोल्विंग निधि			21,04,278
	उप-कुलपति निधि			5,17,440
	डा० अमजद अली			2,60,000
	श्री इशरत हुसैन			20,000
	डा० सवीह अहमद कमाली			1,50,000
	ए० ए० यू० स्टूडैन्ट वल फेयर फन्ड			8,78,200
			योग—विनियोग	10,50,83,231
	भवन—			
	सामान्य खाता—			
	स्थाई आरक्षित निधि		1,13,878	
	विशेष वल आरक्षित निधि		10,03,296	
	वल आरक्षित निधि		3,61,130	
	न्यास निधि		1,50,802	
	भवन निधि		1,23,25,534	
	अभियान्त्रिक महाविद्यालय निधि		9,43,845	
	महिला महाविद्यालय		23,560	
				1,49,22,045
	विकास अनुदान खाता—			1,36,91,906
	निक्षेप खाता—			
	फोर्ड फाऊन्डेशन अनुदान		20,19,168	
	जम्मू-कश्मीर शासन अनुदान		6,86,820	
	कुवैत सरकार अनुदान		72,475	
	कुवैत स्कूल		8,89,358	
	सामान्य प्रकीर्ण		94,382	
	लीबिया दूतावास		21,922	
	अनुदान मौलाना मौहम्मद अली		21,07,242	
	जौहर हाल		8,14,012	67,05,379
	डा० हुसन कमाल			59,12,830
	आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्वर्ण जयन्ती निधि			84,461
	शेख जैद पैट्रोलियम आफ इन्सटीट्यूट			6,90,529
	बीबी फातिमा सन्वान			52,089
			महायोग—भवन	16,20,59,239
	पुस्तकें—			
	विकास अनुदान खाताज			
	मु० वि० निक्षेप अनदान खाता			
	फोर्ड फाऊन्डेशन अनुदान		39,956	1,52,04,589
	ईरान राज्य के शाह द्वारा अनुदान		1,10,694	
	डा० अमजद अली		6511	1,57,161
	ध		योग	1,53,61,750

खातों का शीर्षक	धन	धन
	रु०	रु०
उपस्कर--		
विकास अनुदान खाता		
मु० वि० निक्षेप खाता		56,30,098
फोर्ड फाऊण्डेशन अनुदान		21,005
कुवैत सरकार द्वारा अनुदान		1,335
योग		56,52,438
उपकरण--		10,03,96,808
विकास अनुदान खाता (गाड़ियों सहित)		
मु० वि० निक्षेप खाता--		
फोर्ड फाऊन्डेशन अनुदान		1,14,113
कुवैत सरकार द्वारा अनुदान		5,214
जम्मू-काश्मीर सरकार द्वारा अनुदान		10,000
उपकुलपति निधि		22,67,705
योग		10,27,93,840

मैं० फजल अब्बास नकवी
सहायक वित्त अधिकारी,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

बैंक समाधान विवरण 31 मार्च, 1988

	सामान्य खाता	विकास अनुदान खाता	ए० एम० यू० जमा निधि	ए० एम० यू० भविष्य निधि	आयुर्विज्ञान महाविद्यालय खाता
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
खातों के अनुसार अवशेष	(+) 1,52,44,881	38,56,688	10,73,633	8,55,210	15,588
कटौती--					
पारगमन में प्रेषित धन	(--) 4,51,783	9,25,167	9,20,192	12,73,382	--
बैंक द्वारा अशुद्धि अवर्गीकृत विकलन	(--) 2,33,164	32,842	66,864	39,882	--
योग	(--) 1,45,59,934	28,98,679	86,577	4,58,054	15,588
जमा--					
बिना भुगतानों के धनादेश	(+) 2 25,92,518	44,63,772	4,51,340	4,22,099	--
बैंक द्वारा अशुद्धि अवर्गीकृत आकलन	(+) 72,064	1,971	31	35,955	--
बैंक विवरण के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के मु० वि० वि० के चालू खातों में प्रदर्शित अवशेष	(+) 3,72,24,516	73,64,422	5,37,948	--	15,588

एस० फजल अब्बास नकवी,
सहायक वित्त अधिकारी,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लेखाओं
(वर्ष 1987-88) पर
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर वर्ष 1987–88 की आडिट रिपोर्ट

1. प्रस्तावना

विश्वविद्यालय के वर्ष 1987–88 के आय व्यय का विस्तृत विश्लेषण। पूर्व वर्ष के तदनुरूप अंकों के साथ । नीचे दिया गया है :–

	1986–87		1987–88
आय		(रुपये लाख में)	
1. अनुरक्षण अनुदान प्राप्त			
(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) से . . .	1,882.00	2,530.00	
(2) उत्तर प्रदेश सरकार से . .	2.62	2.62	
		1,884.62	2532.62
2. विभिन्न विशिष्ट उद्देश्य के लिए भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान से प्राप्त अनुदान			
(1) आवर्ती	70.67	79.07	
(2) अनावर्ती	212.59	264.65	
	283.26		343.72
3. स्थाई निधि			
(1) निवेश से	7.81	8.10	
(2) भवन और भूमि से . . .	8.56	10.90	
	16.37		19.00
4. शैक्षिक प्राप्तियां	--	30.75	36.19
5. छात्रावास से प्राप्तियां . . .	--	13.84	5.10
6. मेडिकल कालेज से प्राप्तियां . . .	--	3.04	2.82
7. विविध प्राप्तियां	--	79.24	113.29
8. आय से अधिक व्यय . . .	--	--	25.62
		2311.12	3,078.36

	1986-87	1987-88
	(रुपये लाख में)	
व्यय		
1. पूंजी		
(1) भवन	106.18	80.80
(2) उपस्कर	67.50	132.15
(3) पुस्तकें	5.32	15.17
(5) फर्नीचर	3.04	1.82
	182.04	229.94
2. राजस्व व्यय (वेतन और भत्ता तथा सामान्य सेवाएं)	1119.10	1505.50
3. शैक्षिक व्यय	139.58	358.70
4. छात्रावास	147.60	183.13
5. मेडिकल कालेज चिकित्सालय	134.22	167.45
6. छात्रवृत्ति (फैलोशिप और छात्रवृत्ति)	37.39	56.24
7. विकास अनुदान	60.84	104.69
8. विविध व्यय	364.20	297.61
9. भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए अनुदान	83.44	140.37
10. व्यय से अधिक आय		
(1) पूंजी	30.55	34.71
(2) विकास	9.84	—
(3) अनुरक्षण	2.32	0.02
	42.71	34.73
	2,311.12	3,078.36

लेखे पर टिप्पणी

(1) वसूली उपचन्त

वर्ष 1986-87 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 2 (ii) में वसूली उपचन्त के अन्तर्गत बकाया अवशेष के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था। यद्यपि बकाया अवशेष के शोधन में सुधार हुआ था फिर भी वर्ष 1987-88 के अन्त में इस शीर्ष के अन्तर्गत 11.22 लाख रुपये का निवल शेष था।

नीचे दिए गए मद प्रतिकूल इतिशेष प्रदर्शित करते हैं जिनकी छानबीन की जरूरत है—

	नामें	जमा
	(रुपये लाखों में)	
(1) कुलपति निधि	0.19	—
(2) देय वेतन	—	3.55
(3) छात्रावास देय	—	5.34
(4) जीवन बीमा निगम	—	0.32
(5) आयकर	0.09	—
(6) शिक्षण कर्मचारी (संघ)	0.12	—
योग	0.40	9.21

विश्वविद्यालय ने बताया (नवम्बर 1988) कि बकाया शेषों का समाधान करने के प्रयत्न किए जा रहे थे।

(2) निरस्तीकरण प्रतिक्षित चैक

वर्ष 1975-76 से 1986-87 में कुल धनराशि 2.24 लाख रुपये (भविष्य निधि 1.97 लाख रुपये, निक्षेप 0.12 लाख रुपये और मुस्लिम विश्वविद्यालय विकास अनुदान 0.15 लाख रुपये) के चैक निर्गत किये गये थे किन्तु वे आदाता द्वारा बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए तथा कालातीत होने पर निरस्त कर वापस नहीं लिए गए। विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया। नवम्बर 1988 के चैकों को निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम 1988-89 के लेखे में परिलक्षित होंगे।

(3) परिपक्व निवेशों का न भुनाया जाना

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित 13 प्रतिशत, 1946-86 का परिवर्तित ऋण 1.38 लाख रुपये जिसका प्रत्यक्ष मूल्य 1.42 लाख रुपया था 1986 में परिपक्व हुए थे। किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा न तो उन्हें भुनाया गया और न उन्हें फिर से ऊंची ब्याज दर पर पुनः निवेशित किया गया। प्रतिभूतियों के न भुनाने का कारण नहीं बताया गया था। फिर भी विश्वविद्यालय ने बताया (नवम्बर 1988) कि मामलों में बैंक से पत्राचार चल रहा था और शीघ्र ही वसूली हो जाने की आशा थी।

बैंक समाधान

31, मार्च 1988 को, विश्वविद्यालय की रोकड़ बही और बैंक लेखे में दिखाए गए शेषों का अन्तर 319.83 लाख रुपये था। इसके विस्तृत विवरण नीचे दिये गये थे :—

समय/लेखा

अन्तरों की प्रकृति	10 वर्षों से अधिक (1975-76 तक)	1976-77 से 1980-81 तक	1981-82 से 1984-85	1985-86 से 1986-87	1987-88	योग
				(रुपये लाख में)		
जमा—रोकड़ बही में परिलक्षित किन्तु बैंक लेखे में नहीं . . .	0.38	0.08	0.02	0.22	35.01	35.71
जमा—बैंक लेखे में परिलक्षित किन्तु रोकड़ बही में नहीं . . .	0.02	0.41	0.06	0.08	0.53	1.10
नामें—रोकड़ बही में परिलक्षित किन्तु बैंक लेखे में नहीं . . .	1.01	0.76	0.05	0.44	277.04	279.30
नामें—बैंक लेखे में परिलक्षित किन्तु रोकड़ बही में नहीं . . .	2.27	0.86	0.02	0.23	0.34	3.72
योग . . .	3.68	2.11	0.15	0.97	312.92	319.83

जैसा कि वर्ष 1986-87 के विश्वविद्यालय के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 3 में उल्लिखित है 2.22 लाख रुपये का 1972-73 में विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज के प्रशासनिक अधिकारी के नाम गलती से बैंक द्वारा भुगतान किया गया था। बैंक द्वारा अभी तक (अगस्त 1988) धनराशि वापस नहीं किया गया था। अन्य विसंगितयों का कारण अभी तक (अगस्त 1988) विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना था। विश्वविद्यालय ने नवम्बर 1988 में बताया कि अन्तर घटाकर 124.18 लाख रुपये कर दिया गया है।

बकाया अग्रिम

(1) 31 मार्च, 1988 को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की जरूरतों को पूरा करने के लिये समय-समय पर दिये गये कुल 252.03 लाख रुपये के अग्रिमों का समायोजन प्रतीक्षित था। अवधि के अनुसार बकाया की स्थिति निम्नलिखित थी :—

अग्रिमों की समयावधि वर्ष	मामलों की संख्या	राशि
		(लाख रुपयों में)
11 से 26 (1961-62 से 1976-77 तक) . .	1093	25.64
5 से 10 (1977 से 78 से 1981-82 तक) . .	642	26.02
3 से 5 (1982-83 से 1985-86) . . .	460	52.20
(1986-87 से 1987-88) . . .	1206	148.17
योग . .	3401	252.03

अग्रिमों के कुछ मदों की स्थिति निम्नवत थी :--

(1) 1968-69 में, विश्वविद्यालय के अभियन्ता का 5.92 लाख रुपये के चार अग्रिम, विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये सीमेंट प्राप्त करने हेतु किए गए थे जिसका समायोजन नहीं किया गया था यद्यपि निर्माण कार्य (मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज के 480 छात्रों के छात्रावास भवन का निर्माण बहुत पहले हो चुका था।

(2) 1971-72 में, कुल योग 0.34 लाख रुपये का अग्रिम प्रयोगशाला के चलान का खर्च पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष को दिया गया था, जो असमायोजित रहा।

(3) वर्ष 1971-72 में, विश्वविद्यालय के कुल सचिव (रजिस्ट्रार) को कार्यकारी परिषद के सदस्यों को यात्रा भत्ते का भुगतान करने के लिए कुल योग 0.16 लाख रुपये का अग्रिम दिया गया था, जो अभी समायोजित होना था।

(4) वर्ष 1981-82 में, 0.68 लाख रुपये का अग्रिम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेन्ट्रल डिवीजन सी० पी० डब्ल्यू० डी० गाजियाबाद को 10 शैय्याओं वाले वार्ड के निर्माण हेतु दिया गया था जो समायोजन लेखा प्राप्त न होने के कारण बकाया पड़ा हुआ था।

विश्वविद्यालय ने बताया (नवम्बर 1988) बकाया अग्रिमों की यथा सम्भव शीघ्र समायोजित करने के उपाय किये जा रहे थे।

(ii) साख पत्रों (लेटर आफ क्रेडिट) के विरुद्ध बकाया

वर्ष 1986-87 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 5(ii) में साख पत्रों के विरुद्ध बकाया का उल्लेख किया गया था। वर्ष 1978-79 से 1986-87 में आयोजित उपस्कर के विरुद्ध 25.98 लाख रुपये साख-पत्रों के खोलने के लिये भुगतान हुआ था, जिसका समायोजन प्रतीक्षित था, क्योंकि विश्वविद्यालय को अभी (अगस्त, 1988) अपने जिसे विभिन्न शैक्षिक विभागों, जिनके पक्ष में उपस्कर की आपूर्ति का आदेश दिया गया था, से उपस्कर की प्राप्ति सुनिश्चित करना तथा समायोजित लेखा प्राप्त करना था। विश्वविद्यालय ने बताया (नवम्बर 1988) कि बकाया राशियों का समाधान करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे थे।

अनुदानों का उपयोग

31 मार्च 1988 को विश्वविद्यालय के पास वर्ष 1958-59 से 1987-88 तक विभिन्न उद्देश्यों के लिये भारत सरकार तथा यू० जी० सी० से अनुदानों में से 265.15 लाख रुपये (अनावर्ती 225.36 लाख रुपये और आवर्ती 39.79 लाख रुपये) का अप्रयुक्त अवशेष था। दूसरी ओर विश्वविद्यालय ने कुछ अन्य मदों पर 163.31 लाख रुपये अनावर्ती 68.85 लाख रुपये और अनावर्ती 94.46 लाख रुपये प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय किया था।

बचत अनुदान का उद्देश्य	राशि	आधिक्य अनुदान का उद्देश्य	राशि
1	2	3	4
	(रुपये लाख में)		(रुपये लाख में)
(i) नीचे का इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम का विकास	20.01	(i) 10+2 स्कूल भवन (लड़के)	9.11
(ii) जे० एन० मेडिकल कालेज से सम्बद्ध 150 बिस्तरों वाला अस्पताल (छठी योजना)	10.66	(ii) कम्प्यूटर लगाने के लिए भवन का निर्माण	7.60
(iii) संशोधित प्रणाली के अन्तर्गत प्रथम पेज में चिकित्सा शिक्षा योजना के पुनरभिस्थापन के लिए जे०एन०एम०सी० में सभागार के निर्माण व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संवर्धन व परिवर्तन, आपरेशन थियटर, छात्रों के लिए आवासीय कक्ष के निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता	9.97	(iii) केरियर प्लानिंग स्कीम शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते . .	3.71
		(iv) बुक बैंक के लिए भवन निर्माण . .	3.57
		(v) विशिष्ट ढंग से सड़क का सुधार . .	2.9

1	2	3	4
(iv) विद्युत इंजीनियरिंग विभाग को साज सज्जा क्रय के लिए अनुदान	9.80	(vi) तिब्बिया कालेज के 50 बिस्तर वाले अस्पताल का प्रसार	2.48
(v) साज सज्जा के लिए सातवीं योजना में तदर्थ अनुदान (जे० एन० मेडिकल कालेज)	7.83	(vii) कोचिंग और गाइडिंग केन्द्र (कर्मचारियों के लिए वेतन एवं भत्ते)	2.46
(vi) सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रयोगशाला एवं कार्यशाला का आधुनिकीकरण	7.42	(viii) गंगा ई० सी० ओ० प्रणाली के सुसम्बद्ध अध्ययन पर पस्कर परियोजना	2.09
(vii) अल्पसंख्यक समुदाय के शिल्पकारों के लिए शेड का निर्माण (यूनिवर्सिटी पोलिटेक्निक)	7.25	(ix) कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इत्यादि संकाय के लिए उपस्कर	1.68
(viii) 500 ज विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण	6.93	(x) सांख्यिकी विभाग के लिए भवन निर्माण	1.52
(ix) इंजीनियरिंग कालेज को पुस्तकों के लिए अतिरिक्त अनुदान	5.00	(xi) नए अभिलेखागार की स्थापना	1.14
(x) प्रोफेसर/रीडर के लिए कमरा का निर्माण	4.88	(xii) वाणिज्य एवं विधि संकाय के लिए भवनों का निर्माण	1.06
(xi) अत्यावश्यक एक्सरे मशीन की खरीद	4.31	(xiii) विज्ञान ब्लाक के बरामदे के लिए ग्रिल का प्रावधान	0.83
(xii) विश्वविद्यालय पालीटेक्निक के वर्तमान पाठ्यक्रम में परिवर्तन के अन्तर्गत भवन निर्माण	3.66	(xiv) जलपान और रसोई घर	0.71
(xiii) जे० एन० मेडिकल कालेज के मुख्य भवन (थर्ड प्लान) का निर्माण	2.49	(xv) लेक्चर थियेटर और प्रयोगशाला का निर्माण (पांचवी योजना)	0.62
(xiv) कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट डिप्लोमा कोर्स	1.14		

विश्वविद्यालय ने बताया (सितम्बर 1988) कि वित्तीय वर्ष 1987-88 के अन्त में कई योजनाओं लिए अनुदान प्राप्त हुआ। अतः वर्ष के दौरान अनुदान की अधिक राशि का उपयोग न हो सका। विश्वविद्यालय ने आगे बताया (अक्तूबर 1988) कि व्यय न किए गए अनुदानों में से 241.00 लाख रुपयों का उपयोग वर्तमान वित्त वर्ष में किया जा चुका था और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ योजना के शेष 6.20 लाख रुपये वापस किये जा चुके थे।

फिर भी विश्वविद्यालय ने पिछले वर्षों में प्राप्त अनुदानों के न उपयोग होने के कारणों को नहीं बताया। जहां तक प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय का सम्बन्ध था विश्वविद्यालय ने सूचित किया कि अनुमोदित योजनाओं पर धन देने वाली एजेन्सियों से धन प्राप्ति की आशा में व्यय किया गया था ताकि योजनायें/परियोजनायें ठीक ढंग से कार्यशील रहें।

8. भुगतान न की गई छात्रवृत्ति

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर रहे थे। स्वीकृत आदेश में यह अनुबन्ध था कि छात्रवृत्ति की न भुगतान की गई राशि 3 साल से अधिक समय तक अदावी/अवितरित रहे, तो उसे स्वीकृत करने वाले जप्राधिकारियों को वापस कर देनी चाहिए थी। फिर भी, यह देखने में आया कि 3 साल से अधिक समय तक अदावी/अवितरित रही, 5.82 लाख रुपये की छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय द्वारा रोक ली गई और फन्डिंग एजेन्सीज को वापस नहीं की गई थी। अवितरित राशि का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया था :—

वर्ष	राशि
	(रुपये लाख में)
1970-71 से 1979-80 तक	4.48
1980-81	0.31
1982-83	0.65
1983-84	0.38
योग	5.82

विश्वविद्यालय ने बताया कि अवितरित राशि फन्डिंग एजेन्सीज को वापस करने के लिए उपाय किए जा रहे थे।

निर्माण कार्यकलाप

इलमुल अदबिया भवन के निर्माण पर 2.25 लाख रुपये का परिहार्य व्यय :—

विश्वविद्यालय ने अपने इल्मुल अदबिया विभाग के लिए भवन निर्माण के सम्बन्ध में 1981 में करार किया। ठेकेदार ने अक्तूबर, 1980 में ठेक की दर देते समय यह शर्त लगाई थी कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामानों में सरकारी कानूनों या अधिनियमों के कारण मूल्य वृद्धि पर उसका भुगतान करना होगा विश्वविद्यालय ने इस शर्त को नहीं स्वीकार किया था किन्तु विश्वविद्यालय ने जनवरी 1981 में स्वीकृति-पत्र निर्गत करते समय अपने निर्णय को ठेकेदार को सूचित नहीं किया था। फलतः विश्वविद्यालय द्वारा बढ़े हुए मूल्य पर बिल का भुगतान बाद में (नवम्बर 1982) अस्वीकार करने पर संविदा के धारा 25 के अनुसार ठेकेदार ने एक मध्यस्थ नियुक्त करने का निवेदन किया क्योंकि विश्वविद्यालय ने मूल्यवृद्धि की धारा को न स्वीकृत करने के निर्णय को जनवरी 1981 में स्वीकृति-पत्र निर्गत करते समय ठेकेदार को सूचित नहीं किया था। इस पर मध्यस्थ ने ठेकेदार को लाभ दिया और विश्वविद्यालय को 2.25 लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार को मूल्यवृद्धि का धारा का अस्वीकृति न सूचित करने के कारण 2.25 लाख रुपये का संभावित परिहार्य भुगतान करना पड़ा था, जिसे एम० यू० निधि से किया गया था क्योंकि विकास अनुदान के अन्तर्गत किसी तरह की निधि नहीं थी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस उद्देश्य के लिए फण्ड देने से इन्कार कर दिया था।

(ii) लागत वृद्धि के कारण निविदा को अंतिम रूप देने में असाधारण विलम्ब :—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय द्वारा मार्च 1982 में अपने कम्प्यूटर केन्द्र के भवन निर्माण हेतु भेजे गए प्रस्ताव जिसकी अनुमानित लागत 28.55 लाख रुपये थी। सिविल वर्क्स 13.10 लाख, विद्युत 3.95 लाख, फर्नीचर और वर्क चार्ज अकस्मिकत 4.00 लाख और वातानुकूलन 7.50 लाख का अनुमोदन अक्तूबर 1982 में किया था। भवन का सिविल वर्क ठेकेदार द्वारा किया जाना था, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्ति के 1 वर्ष 7 माह बाद मार्च 1984 में निविदा आमंत्रित किया। एक ही निविदा प्राप्त होने के कारण विश्वविद्यालय ने जुलाई, 1984 में पुनः निविदा आमंत्रित किया। निविदा का अंतिम रूप देते हुए दिसम्बर 1985 में कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि के साथ 1 दिसम्बर 1984 में करार सम्पन्न हुआ। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने ठेके को अंतिम रूप देने में 2 वर्ष लिया जिसका प्रतिफल यह हुआ कि कम से कम निविदा को स्वीकार करने में 13.10 लाख रुपये अनुमानित लागत के विरुद्ध 20.55 लाख रुपये की ऊंची निविदा हुई क्योंकि इस बीच सामानों की दर में वृद्धि हो गई थी। इसके आगे दिसम्बर 1984 में करार के अंतिम रूप से सम्पन्न होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 लाख रुपये की पहली किस्त (जनवरी 1985) नियुक्त किया था और निविदा को स्वीकृत लागत के आधार पर संशोधित अनुमान मांगा था। विश्वविद्यालय ने पुनः 2 वर्ष लिया और 44.83 लाख रुपये का संशोधित अनुमान (सिविल वर्क 20.55 लाख रुपये, अन्य मदें और वातानुकूलन 24.28 लाख रुपये) जनवरी 1987 में प्रस्तुत किया था। विश्वविद्यालय ने सिविल वर्क पर 20.55 लाख रुपये करार की गई लागत के विरुद्ध मार्च 1988 तक 20.31 लाख रुपये व्यय किया था। जबकि सिविल वर्क का 20 प्रतिशत कार्य अब भी पूरा होना था (अगस्त 1988)। इस प्रकार विलम्ब से कार्यवाही होने के कारण विश्वविद्यालय को 7.45 लाख रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा था। निविदा प्राक्कलन को अंतिम रूप देने में विलम्ब का कारण यह बताया गया (नवम्बर 1988) कि विस्तृत प्राक्कलन और विस्तृत रेखांकन (ड्राइंग इत्यादि को तैयार करने, तथा उसमें जोड़ी गई मदों पर निर्णय लेने में समय लगने के कारण विलम्ब हुआ।

8. त्रुटिपूर्ण पंखों का क्रय

विश्वविद्यालय ने जून 1985 में गाजियाबाद की एक फर्म से सात प्रतिशत भुगतान करते हुए 1297 पोलर पंखे (मूल्य 5.07 लाख रुपये) खरीदा था। इनमें से 1.81 लाख रुपये मूल्य के 405 पंखे एक वर्ष की गारन्टी अवधि में ही खराब हो गए थे। अवैध अनुरोधक के बावजूद आपूर्तिकर्ता ने तो पंखों को सुधारा और न वापस लिया। विश्वविद्यालय को पंखों के सुधार पर 0.50 लाख रुपये व्यय करना पड़ा था। विश्वविद्यालय ने आपूर्तिकर्ता से किसी तरह की प्रतिभूति निक्षेप नहीं प्राप्त किया था अतः फर्म के विरुद्ध किसी तरह के आर्थिक दण्ड की कार्यवाई नहीं की जा सकी थी। इस तरह, उपयुक्त सुरक्षात्मक कार्यवाही न करने के कारण विश्वविद्यालय को 1.81 लाख रुपये के (आवर्तीज दायिता) त्रुटिपूर्ण पंखों को स्वीकार करना पड़ा था इसके अतिरिक्त 0.50 लाख रुपये सुधार पर भी व्यय करना पड़ा था जबकि निर्माताओं से मामले का अनुसरण प्रबन्धक, राष्ट्रीय लघु उद्योग और विभाग और निदेशक लघु उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर के माध्यम से किया जा रहा था।

9. निजी औषधि की दुकान को अनाधिकृत सहायता

विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज परिसर में एक औषधि की दुकान 1985 से चल रही थी जिसे "हयाशफो सोसाइटी फार पेशेन्ट वेलफेयर" (सोसायटी) नाम से पुकारा जाता था। जिसकी कार्यकारी समिति में मेडिकल कालेज के कुछ डाक्टर थे। समिति के अध्यक्ष के रूप में मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य और मेडिकल कालेज, अस्पताल के अधीक्षक अवैतनिक सचिव थे।

यद्यपि विश्वविद्यालय और उक्त समिति के बीच कोई औपचारिक अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं हुआ था तथापि औषधि की दुकान द्वारा 1985 से निम्नलिखित सुविधाओं का उपभोग किया जा रहा था :—

(i) मेडिकल कालेज भवन के दो कमरे दुकान के कब्जे में, किराया, बिजली और पानी के प्रभार का भुगतान किए बिना चल रहे थे।

(ii) विश्वविद्यालय का कुछ सामान अनुसूचित मूल्य पर औषधि की दुकान को (सामानों की संख्या और उनका मूल्य सूचित नहीं किया गया) कुलपति के आदेश से हस्तान्तरित कर दिया गया था किन्तु सामानों का मूल्य अभी तक (अगस्त 1988) विश्वविद्यालय द्वारा वसूल नहीं किया गया था।

(iii) मेडिकल कालेज अस्पताल के पांच वार्ड सहायकों की सेवाओं का उपयोग औषधि की दुकान द्वारा अक्तूबर, 1985 से मार्च, 1988 तक किया गया था। वार्ड सहायकों के कुल वेतन 1.25 लाख रुपये का भुगतान जो विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था उसे समिति से अभी तक (सितम्बर 1988) वसूल नहीं किया गया था।

विश्वविद्यालय ने बताया (नवम्बर 1988) की औषधि की दुकान की स्थापना मरीजों को चौबिसो घंटे सेवा प्रदान करने में अस्पताल की सहायता करने हेतु की गई थी और परस्पर प्रतिधान के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा उसे यह सुविधाएं प्रदान की गई थी।

10. निष्क्रिय उपकरण

(i) कम्प्यूटरर प्रणाली—

जुलाई 1980 में विश्वविद्यालय ने 28561.64 लाख रुपये (लगभग 30 लाख रुपये) की लागत से एक वी० ए० एक्स-11/780 कम्प्यूटर प्रणाली का आयात किया था जो पूरी तौर पर स्थापित नहीं हुआ था (अगस्त 1988)। जिसके विषय में यह बताया गया कि डिजिटोसर एवं अतिरिक्त टर्मिनल आदि पुर्जे रखने के लिए कम्प्यूटर केन्द्र के वर्तमान भवन में पर्याप्त स्थान न होने के कारण प्रतिस्थापित न हो सका था। केन्द्र के लिए कम्प्यूटर के साथ-साथ 1980-81 में संस्वीकृत नए भवन का निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ था (अगस्त 1988)।

(ii) मास एलाइनर—एम० बी० 750—

एक विदेशीय आपूर्तिकर्ता के भारतीय एजन्ट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक्स के कमजोर क्षेत्रों में मूल सुविधाओं का सृजन करने के लिए सितम्बर 1986 में 9.46 लाख रुपये की लागत पर मास एलाइनर एम० बी० 750 का आयात किया गया था जिसे विशेष प्रकार के स्थान के अभाव में अभी तक (अगस्तज1988) लगाया नहीं गया था। इसका उल्लेख विश्वविद्यालय की वर्ष 1986-87 की आडिट रिपोर्ट में भी किया गया था। विश्वविद्यालय ने सूचित किया कि (नवम्बर 1988) उपकरण स्थापित करने के लिए एक नई प्रयोगशाला का निर्माण किया जा चुका था और उपकरण अधिष्ठित करने के लिए कदम उठाए जा रहे थे।

(iii) स्टीमैक्स ब्यायलर

विश्वविद्यालय के पेट्रोलियम और केमिकल इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान के लिए मार्च 1987 में एक फर्म से 1.55 लाख रुपये में प्राप्त किया गया स्टीमैक्स ब्यायलर निष्क्रिय पड़ा हुआ था (अगस्त 1988) इसे स्थान के अभाव में अधिष्ठापित नहीं किया जा सका था क्योंकि भवन का निर्माण अभी भी होना था (अगस्त 1988)।

(iv) ट्रेकिंग स्कोप

शिक्षक सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए जुलाई 1985 में विश्वविद्यालय के एलेक्ट्रानिक इंजीनिरिंग विभाग द्वारा 1.56 लाख रुपये का त्रुटिपूर्ण ट्रैकिंग स्कोप आयात किया गया था जिसके सम्बन्ध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 1986-87 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 9 (iii) में उल्लेख किया गया था। उपस्कर अब भी निष्क्रिय पड़ा था, क्योंकि आपूर्तिकर्ता कई अनुस्मारक के बावजूद त्रुटियों को सुधारने के लिए नहीं आए थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 1988) कि फर्म के भारतीय एजेंट अपने व्यय पर उपस्कर निर्माता को त्रुटि सुधारने के लिए पुनः निर्यात करने को अब सहमत हो गया था।

(v) परमाणु एब्सार्सन स्पेक्ट्रो मीटर

विश्वविद्यालय के इलमुल अदविया (ए० के० तिब्बिया कालेज) विभाग द्वारा 1.20 लाख रुपये की लागत का एक परमाणु एब्सासन स्पेक्ट्रोमीटर फरवरी 1980 में आयात किया गया था जो इसकी प्राप्ति के 8 वर्ष बीत जाने पर भी बिना अधिष्ठापित किये पड़ा हुआ था (अगस्त 1988) फलस्वरूप इसकी प्राप्ति का उद्देश्य ही विफल हो गया था।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 1988) कि फर्म ने मशीन का शीघ्र अधिष्ठापना का आश्वासन दिया था।

11. पैट्रोलियम और केमिकल इंजीनियरिंग का संस्थान

पेट्रोल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स/केमिकल इंजीनियरिंग के सामान्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए 114.97 (लाख रुपये) अनावर्ती 111.45 लाख और आवर्ती 3.52 लाख रुपये की लागत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पेट्रोलियम अध्ययन और केमिकल इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मई 1983 में स्वीकृति दी थी। यू० ए० ई० के राष्ट्रपति जनवरी 1975 में जब विश्वविद्यालय में भ्रमण पर थे इस प्रकार के संस्थान की स्थापना का विचार उनके सुझावों पर पनपा था और इसके लिए दस लाख अमेरिकी डालर दान प्रस्तावित किया था किन्तु यू० ए० ई० सरकार से प्राप्त दान की कुल वास्तविक धनराशि 2 लाख यू० एस० डालर था (मार्च 1975)। विश्वविद्यालय के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर पर संस्थान की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ था। वर्ष 1983–84 और 1986–87 के मध्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 47 लाख रुपये (उपस्कार की खरीद के लिये 45 लाख रुपये, और पुस्तकों के लिए 2 लाख रुपये) नियुक्त किया जो केमिकल इंजीनियरिंग विभाग को सशक्त बनाने के लिए निर्दिष्ट थे और उस व्यय किए गए थे।

संस्थापना की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पेट्रोकेमिकल/केमिकल इंजीनियरिंग तथा पेट्रोल रिफाइनिंग के सामान्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करना था जिसे भारत में बहुत ही कम शैक्षिक संस्थानों द्वारा दिया जा रहा था परन्तु अभी इसे पूरा करना था (सितम्बर 1988)। फिर भी, विश्वविद्यालय ने अगस्त 1984 से एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया था, जिसमें नियत स्थान भरे नहीं जा रहे थे जैसाकि नीचे दर्शाया गया था :—

वर्ष	भर्ती क्षमता	भर्ती छात्र	छात्र संख्या जिन्होंने पाठ्यक्रम पूरा किया
1984–85 . . .	10	12	8
1985–86 . . .	10	4	2
1986–87 . . .	10	5	4
1987–88 . . .	10	9	1

स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम को शुरू करने की असमर्थता का कारण स्थान की अनुपलब्धता बताया गया। विश्वविद्यालय ने बताया (नवम्बर 1988) कि प्रवेश के लिए छात्रों की कम आवक और प्रवेश के बाद अधिक संख्या में पाठ्यक्रम छोड़ देने का कारण यह था कि केवल बी० एस० सी० इंजीनियरिंग (केमिकल) डिग्रीधारी ही इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के पात्र थे और उनके लिए उद्योगों में काम मिलने के अवसर अधिक होने के कारण वे डिप्लोमा लेने के बजाय नौकरी करना अधिक पसन्द करते थे। यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्थान के लिए एक अलग भवन का निर्माण करने के लिए संस्तुति प्रदान की जा चुकी थी।

12. अनुसंधान परियोजनाएं

इम्युनिटी इन अमविथासिस स्टडी आफ होस्ट पैरासाइट इन्टरेक्शन आफ मेक्रोमालीक्यूलर लेवल—

प्रधान शोधकर्ता, डा० सुहैल अहमद सूक्ष्म जैविकी विभाग II

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी० एस० टी०) ने वर्ष 1979–80 में विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जैविकी (माइक्रो बायोलोजी) विभाग (जे० एन० चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय) के लिए उपरोक्त परियोजना आरम्भ में तीन वर्ष के लिए स्वीकृत की थी जिसे बाद में 30 जून, 1983 तक बढ़ा दिया गया था। वर्ष 1979–80 और 1982–83 के बीच विश्वविद्यालय ने कुल 3.95 लाख रुपये (1979–80 में 2.25 लाख रुपये, 1980–81 में 0.92 लाख रुपये, 1981–82 में 0.53 लाख रुपये और 1982–83 में 0.25 लाख रुपये) का अनुदान प्राप्त किया था जिसके विरुद्ध विश्वविद्यालय ने 0.16 लाख रुपये शेष छोड़कर 3.79 लाख रुपये (स्थायी उपकरण 2.47 लाख रुपये, वेतन 0.79 लाख रुपये, सामग्रियों एवं आपूर्तियों 0.31 लाख रुपये, आकस्मिक व्यय 0.17 लाख रुपय और यात्रा भत्ता 0.05 लाख रुपये) व्यय किए थे। अनुदान की शर्तों के अनुसार अनुदान से प्राप्त परिसम्पतियां निधि दाता की सम्पत्ति थी और प्रधान शोधकर्ता से अपेक्षा की गई थी कि अनुदान से अप्रयुक्त अवशेष धन को वापिस करने के अतिरिक्त सरकार को परियोजना के समापन की विस्तृत आख्या भेजें। तथापि विश्वविद्यालय ने डी० एस० टी० की सहमति प्राप्त किए बिना इस शोध परियोजना के लिए प्राप्त अनुदान से प्राप्त स्थायी उपकरण (मूल्य 2.47 लाख रुपये) इस तर्क पर कि डी० एस० टी० ने इस उपकरण को परियोजना के समापन पर मांगा नहीं, विश्वविद्यालय के लेखे में ले लिया था। अप्रयुक्त अवशेष 0.16 लाख रुपये न वापस करने के कारण, फिर भी, नहीं बताए गए थे। विश्वविद्यालय डी० एस० टी० को समापन आख्या जैसा कि अपेक्षित था भेजने के विषय में मौन था (अगस्त 1988)।

बोर्ड पर (एनलर फटिंग्स) का व्यवहार :—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के सिविल अनुदान अभियांत्रिकी विभाग के लिए उपर्युक्त परियोजना जुलाई 1983 में 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया था और निम्नलिखित वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हुआ था :—

1 अनावर्ती—

उपकरण	0.29 लाख रुपये

2. आवर्ती—

(अ) तकनीकी सहायक का वेतन	एक
(ब) कार्य संचालन व्यय	2,000 रु० प्रतिवर्ष

वर्ष 1983–84 और 1985-86 के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुल 0.46 लाख रुपये (1983–84 में 0.31 लाख रुपये और 1985-86 में 0.15 लाख रुपये) की निधि नियुक्त किया था जिसके विरुद्ध विश्वविद्यालय ने 0.43 लाख रुपये (अनावर्ती मदों पर 0.27 लाख रुपये तथा आवर्ती मदों पर 0.16 लाख रुपये) अगस्त 1985 तक व्यय किया था जबकि प्रधान शोधकर्ता ने उस परियोजना का परित्याग कर दिया और उस समय तक किए गए कार्य की कोई आख्या प्रस्तुत किए बिना ही विदेशी कार्य ग्रहण करने विदेश चले गए। सहयोगी शोधकर्ता ने एक वर्ष पूर्व ही परियोजना छोड़ दी थी। इस तरह योजना पर 0.43 लाख रुपये का किया गया व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

विश्वविद्यालय ने बताया (अगस्त 1988) कि प्रधान शोधकर्ता को जल्दी में भारत छोड़ना पड़ा था और परियोजना पर किए गए कार्य की आख्या यथा समय प्रस्तुत की जाएगी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

13 अनबिके प्रकाशनों का भण्डार

31 मार्च 1988 को विश्वविद्यालय प्रकाशन प्रभाग के पास 1958-59 से 1986–87 की अवधि में प्रकाशित 330 शीर्षकों की 44,685 पुस्तकों (मूल्य 5.48 लाख रुपये) का अनबिका भण्डार पड़ा था जिनमें से 1.69 लाख रुपये मूल्य की 143 शीर्षकों की 26019 पुस्तकें 15 वर्षों से अधिक पहले छपी थी।

अनबिकी पुस्तकों/शीर्षकों का वर्षवार विश्लेषण :—

प्रकाशन का वर्ष	शीर्षक	छपी प्रतियां	भण्डार में (अनबिकी प्रतियों का प्रतिशत) (संख्या में)	अनबिकी प्रतियों का मूल्य (रुपये लाख में)
1958–59 से 1969–70	143	71108	26019 36 प्रतिशत	1.69
1970–71 से 1979–80	101	38828	11042 29 प्रतिशत	2.26
1980–81 से 1984–85	54	7218	2633 36 प्रतिशत	0.53
1985–86 से 1986–87	37	7446	4953 65 प्रतिशत	1.00
	335	124600	44647	5.48

विशाल भण्डार के अनबिके रहने के कारण ज्ञात नहीं हुए थे (अगस्त 1988)।

14 कृषि फार्म

विश्वविद्यालय ने शैक्षिक पाठ्यक्रम के बाहर एक कृषि फार्म (140 एकड़ क्षेत्रफल) रखा था और इसे भूमि एवं उद्यान के सेवा विभाग में, जो विश्वविद्यालय के अहाते के उद्यानों, भूमि, फूल और फल देने वाले वृक्षों का अनुरक्षण करता था, सम्बद्ध कर दिया था। यद्यपि फार्म सभी सुविधाओं, नलकूप, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स और एक योग्यता प्राप्त पर्यवेक्षक सहित सोलह श्रमिकों के स्थायी दस्ते से युक्त एक राजस्व उपार्जक इकाई था और सेवा विभाग से कार्य भिन्न थे, परन्तु इसका प्रोफार्मा एकाउन्ट नहीं बनाया गया था। वर्ष

1987–88 की अवधि में कुल 3.76 लाख रुपये कर्मचारियों के वेतन पर 2.72 लाख रुपये कृषि पर खर्च 0.86 लाख रुपये और डीजल और ट्रैक्टर की मरम्मत पर 0.18 लाख रुपये। व्यय किए गए थे जबकि खड़ी फसलों/अनाज की बिक्री/नीलामी से राजस्व प्राप्ति केवल 1.65 लाख रुपए थी। इस प्रकार फार्म को 2.11 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी जिसके कारणों की जांच नहीं की गई थी। विश्वविद्यालय ने फार्म के वास्तविक हानि को पूरा करने के लिए आम अमरूद और अन्य फल देने वाले वृक्षों की नीलामी का आय 1.82 लाख रुपये सहित गेहूं तथा अन्य उपजों की बिक्री के 3.47 लाख रुपये के एक अंक को अपने लेख में दर्शाया है।

विश्वविद्यालय ने बताया (नवम्बर 1988) कि फार्म का उद्देश्य जायदाद पर अधिकार जमाए रखना था और उस के एक भाग का उपयोग शोध कार्यों के लिए भी किया जा रहा था जिनसे कोई आय सम्भव नहीं थी अतएव प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए जाते थे।

15 विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन

विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उप नियम के अनुसार पुस्तकों का भौतिक सत्यापन इस ढंग से संचालित किया जाना चाहिए कि पुस्तकालय पुस्तकों का समस्त भण्डार इस प्रयोजन से लगाए गए विशेष कर्मचारी द्वारा पांच वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक रूप से सत्यापित हो जाय। उपरोक्त के प्रतिकूल देखा गया था कि विश्वविद्यालय के स्टाक मिलान वर्ष 1984–85 से आरम्भ किया गया था और मार्च 1988 तक पचास में से केवल पांच अनुभागों का भौतिक सत्यापन किया जा सका था।

स्टाक के मिलान की एक आवधिक आख्या हानियों के विवरण और कारण दर्शाते हुए पुस्तकालय समिति को अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करनी थी किन्तु कोई ऐसी आख्या पुस्तकालय समिति को नहीं भेजी गई थी।

भौतिक सत्यापन के फलस्वरूप बहुत सी पुस्तकें लापता पाई गई थी जो निम्नलिखित थीं :–

		(पुस्तकों की संख्या)
1984–85 . . .	सामान्य और दर्शन शास्त्र के संग्रह .	397
1985–86 . . .	तुलनात्मक धर्म के संग्रह . . .	461
1986–87 . . .	समाज शास्त्र राजनीति विज्ञान और सांख्यकी	आख्या नहीं प्राप्त हुई
1987–88 . . .	समाज शास्त्र विभाग के पुस्तकालय सेमिनार .	163

विभिन्न विभागों, महाविद्यालयों, हाल और चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में लगभग 80 अन्य पुस्तकालय थे लेकिन इन पुस्तकालयों का भौतिक सत्यापन कभी नहीं किया गया था। विश्वविद्यालय ने बताया (नवम्बर 1988) कि भौतिक सत्यापन प्रगति में था।

16. निष्प्रयोज्य उपकरणों (1.02 लाख रुपये) का निस्तारण न करना

1.02 लाख मूल्य के 28 मद निष्प्रयोज्य उपकरण (जिनका अंकित मूल्य 371 रुपये और ₹10,991.40 रुपये के बीच है) वनस्पति विज्ञान विभाग में निस्तारण की प्रतीक्षा में पड़े हुए जिसके लिए विश्वविद्यालय को अभी कार्यवाही आरम्भ करनी थी।

वि० अ० महाजन
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम

स्थान : इलाहाबाद
दिनांक: 21 दिसम्बर, 1988

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

CENTRE I, WORLD TRADE CENTRE

Bombay–400005, the 25 January 1990

Ref. DBOD. No. Fol. 335/Ch. C. 317(D)-90—In pursuance of clause(c) of Sub-Section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the following alterations to the existing names of the banks shall be made in the Second Schedule to the said Act:—

Existing name of the bank	Corresponding new name of the bank
1. Oman International Bank S.A.O.	Oman International Bank S.A.O.G.
2. Grindlays Bank p.l.c.	ANZ Grindlays Bank plc.
3. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation . .	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.

A. GHOSH,
Deputy Governor

PUBLICATION OF THE LIST OF LOST ETC. OF INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA BONDS FOR THE HALF YEAR ENDED 31ST DECEMBER 1990

PART 'A'——NIL——

PART 'B'

6% Industrial Finance Corporation of India Bonds 1985 (II Series)—

No. of Security	Value in Rs.	In whose name issued	From what date bearing int.	Name/s of Claimant/s for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. of and date of orders issued	Date of publication list in which the Security was first published.
BL 000092	Rs. 50,000/-	The Karnataka Industrial Co-operative Bank Limited.	29-10-1984	The Karnataka Industrial Co-operative Bank Limited.	CO. 69-A dated 27-9-1988	12-11-1988
BL 000093	Rs. 50,000/-	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 3rd February 1990

No. SBD.5/1990.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India, nominated Dr. Gurcharan Singh Arshi, Professor and Head of the Department of Punjabi, Punjabi University, Patiala, as Director on the Board of Directors of State Bank of Patiala for a period of three years with effect from 17th March 1990 to 16th March 1993 (both days inclusive) in place of Shri Norbu Barongpa.

(Sd./-) ILLIGIBLE
Chairman.

CANARA BANK

PERSONNEL WING

HEAD OFFICE

Bangalore, the 13th January 1990

1. In exercise of the Powers conferred by Section 19(1) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Canara Bank in consultation with RBI and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the CANARA BANK OFFICER EMPLOYEES' (CONDUCT) REGULATIONS 1976.

2. *Short title and commencement*:

1. These Regulations may be called the CANARA BANK OFFICER EMPLOYEES' (CONDUCT) (AMENDMENT) REGULATIONS 1976.
2. They shall come into force from the date of the Publication in the official Gazette.

3. *Details of the Amendment*:

As furnished in the Annexure.

Sl. No.	Regulation No.	Existing Regulation	Amended version of Regulation (After taking into account amendment made by the Board)	Date of Adoption of Amendment by the Board	REMARKS
1	2	3	4	5	6
1.	Regulation 6(4) Taking up outside employment.	"No officer employee may accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority."	"No officer employee shall accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority.	20-12-1989	
2.	Regulation 21 Vindication of Acts & Character of an officer employee.	"No officer employee shall, except with the previous sanction of the bank, have recourse to any court or the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character. Provided that nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the officer employee shall submit a report to his immediate superior regarding such action."	"No officer employee shall except with the previous sanction of the bank, have recourse to any court or the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character. Provided that nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the officer employee shall submit a report to his immediate superior, within a period of three months from the date such action is taken by him."	20-12-1989	

ARUN KUMAR S. RAO
Assistant General Manager

DENA BANK

PERSONNEL DEPARTMENT

HEAD OFFICE

Bombay-400 005, the 26th December 1989

No. GSR.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of DENA BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the DENA BANK OFFICER EMPLOYEES (CONDUCT) REGULATIONS, 1976.

2. Short title and commencement : (1) These regulations may be called the DENA BANK OFFICER EMPLOYEES (CONDUCT) (Amendment) REGULATIONS, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. REGULATION 6(4) :

No officer employee shall accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the Competent Authority.

4. *REGULATION* 21 :

No officer employee shall, except with the previous sanction of the Bank have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject mater of adverse criticism or an attack of a defamatory character.

Provided that nothing in this Regulation shall be deemed to prohibit an employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capaicty is taken, the officer employee shall submit a report to his immediate superior within a period of three months from the date such action is taken by him.

R. N. BUCH
Asstt. General Manager (P).

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 7th February 1990

No. 28-RC(3)/4/90.—In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of the Eastern India Regional Council at Cuttack with effect from 20th December, 1989.

The Branch shall be known as Cuttack branch of the Eastern India Regional Council.

As prescribed under Regulation 159(3), the branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through the Regional Council and shall carry out such direction as may from time to time be issued by the Council.

No. 28-RC/22/4/90.—In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of the Central India Regional Council at Dhanbad with effect from 20th December, 1989.

The Branch shall be known as Dhanbad branch of the Central India Regional Council.

As prescribed under Regulation 159 (3) the branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through the Regional Council and shall carry out such directions as may from time to time be issued by the Council.

M. C. NARASIMHAN
Secy.

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 5th February 1990

No. 2/1959/DLI/Exemp/89Pt-I/1157.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (herewith referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without make any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated against their names.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name and address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry of earlier exemption	Period for which exemption is further extended
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	M/s.Indian Garage & V.T. Padmanabahan & Bros, 144–Anna Road, Madras–2.	TN/8236 TN/8459	S–35014/316/83/PF.II SS–II dt. 29–1–87	27-1–1990	28–1–90 to 27–1–93
2.	M/s. V. S. T. Motors Limited, 144–Anna Road, Madras–2.	TN/3045	S–35014/314/83–PF. II SS. II dated 29–1–1987.	27–1–1990	28–1–90 to 27–1–93
3.	M/s.V.S.T. Services Station, (Vellore) Gandhi Nagar, Vellore–6.	TN/3045B	S–35014/312/83–PF. II SS. II dated 29–1–87.	27–1–1990	28–1–90 to 27–1–93
4.	M/s. Facit Asia Limited, Perungudi, Madras–600096	TN/4805	S–35014/282/82–PF. II (SS. II) dated 8-4-86	31–12–1988	1–1–89 to 31–12–91

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Governmenwt may, from to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall, arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Schme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shal ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I. 1145.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.):

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto. I, B. N. Som hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Rajasthan from the operation of the said scheme for and upto a period of three years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name and address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	M/s. ST Anselm's Hr. Sec. School. Ajmer	RJ/3264	1-1-89
2.	M/s. Tirupati Spg. & Wg Mills, RIICO Indl. Area., Pur Road., Bhilwara-311001 .	RJ/4881	1-1-89

SCHEDULE—II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall, arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered undr the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exmp/89/Pt-I/1151.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund, Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Madhya Pradesh from the operation of the said scheme for and upto a period of three years.

SCHEDULE-I

Sr. No.	Name & address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F. C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Drug Roadways Private Limited G.E. Road, Durg. (M.P.)	MP/612	1-8-88	2/2189/DLI
2.	M/s. Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt. Guna (M.P.).	MP/1168	1-9-87	2/2200/89/DLI
3.	M/s. Bhilai Cement Pipe Mfg. Co., P. O. Industrial Estate, Bhilai-490026.	MP/1588	1-7-88	2/2201/89/DLI
4.	M/s Gwalior Forest Products Ltd. P. O. Katha Mill, Shivpuri (M.P.)	MP/1904	1-7-88	2/2202/89/DLI
5.	M/s. Distt. Cooperative Land Development Bank Limited, Dhar (M.P.)	MP/2099	1-6-87	2/2203/89/DLI
6.	M/s. Divya Industrial Products, Plot-I, Sector-B, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.)	MP/2286	1-3-88	2/1989/89/DLI/Pt.
7.	M/s. Keshari Steels (Rolling Mill Division) (A Divn. of the Reliance Jute & Ind. Ltd.) New Industrial Area, A. B. Road, Dewas-455001 (M.P.)	MP/3360	1-3-88	2/2204/89/DLI
8.	M/s. Keshari Steels Mini Steels Division (A Division of the Reliance Jute &Inds. Limited). New Industrial Area, A.B. Road., Dewas (M.P.)	MP/3360-A	1-3-88	2/2205/89/DLI
9.	M/s. South Indian Cultural Association H. S. School, Scheme-54, Vijay Nagar, Indore.	MP/4001	1-12-88	2/2206/89/DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance

Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respects of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/lefgal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

The 6th February 1990

No. P.IV/1(1)/84/RR.—In exercise of the powers conferred by sub-section 7(a) of section 5(D) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board hereby makes the following Rules for regulating the method of recruitment to the post of Legal Assistant under the Employees' Provident Fund Organisation, namely :—

1. *Short title and commencement*

(1) These Rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Legal Assistant Recruitment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. *Application* :—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. *Number of posts, Classification and scale of pay* :—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the aforesaid schedule.

4. *Method of Recruitment, age limit and other Qualifications etc* :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. *Disqualification* :—No person :

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Board, or where so authorised by the Board, the Central Provident Fund Commissioner may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person, and the other party to the marriage, and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. *Power to relax* :—Where the Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

7. *Saving* :—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

NOTE :

Consequent on the publication of these Rules, the existing cadre of Junior Technical Assistant in the Headquarter's Office shall be treated as a dying cadre, since the duties and responsibilities assigned to the Junior Technical Assistant and the Legal Assistant are identical and their scale of pay also the same. However, formulation of these Rules will not in any way adversely affect the existing promotional avenues of the Junior Technical Assistants in the Headquarters office who are holding the post on regular basis on the date of coming into effect of these Rules.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner
and
Secretary, Central Board of Trustees,
Employees' Provident Fund.

THE SCHEDULE

Name of Post.	*No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Legal Assistant	*24 (1990)	Group 'C' Ministerial	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Not applicable	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.

*Subject to variation dependent on workload.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion of by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation.	Officers of the Employees' Provident Fund Organisation serving in the respective Regions/Offices failing which Officers of the Central Govt. who shall have; **ESSENTIAL** (i) Degree in Law of a recognised University or equivalent; (ii) Should hold the post in the pay scale of Rs. 1400—2300/- or equivalent on regular basis; OR Rendered at least 5 years regular service in the post in the pay scale of Rs. 1200—2040/-.	Not applicable.	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			DESIRABLE Should have at least 3 years experience in the legal work in the Employees' Provident Fund Organisation/Central Government Department. OR Should be a qualified legal practioner who has practised as such for a period of at least 2 years at the Bar. (Period of deputation/contract including the period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding his appointment in the some other Organisation/Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 3 years).		

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

New Delhi-110 001, the 30th January 1990

No. 1/90.—It is hereby notified that the Share Register of the Corporation will be closed and the registration of transfers suspended from the 17th March to the 31st March, 1990 (both days inclusive).

By order of the Board

H. C. SHARMA
General Manager.

OIL & NATURAL GAS COMMISSION

SECRETARIAT

Dehra Dun, the 20th December 1989

No. Sec/RR/3-7/89.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959), the Commission, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Oil and Natural Gas Commission (Death, Retirement and Terminal Gratuity) Regulations, 1969, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Oil and Natural Gas Commission (Death, Retirement and Terminal Gratuity) (Amendment) Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil and Natural Gas Commission (Death, Retirement and Terminal Gratuity) Regulations, 1969, in sub-regulation (2) of regulation 4 :—

(1) the first proviso shall be omitted;

(2) in the second proviso for the opening words "Provided further", the word "Provided" shall be substituted.

M. L. DORA
Secy. to the Commission.

Foot Note :

The Principal regulations were published vide notification, Oil and Natural Gas Commission No. 17(4)/65-Reg. dated nil in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 17th January, 1970, at pages 31 to 33, and was subsequently amended by :—

(1) Notification No. 17(4)/74-Reg. published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 12-4-75.

(2) Notification No. 17(4)/75-Reg. published in the Gazette of India, Part III Second 4 dated 4-6-1977.

(3) Notification No. 17(4)/79-Reg. dated 12th June, 1980, published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 28-6-1980.

(4) Notification No. 17(4)/80-Reg. dated 13th February, 1981, published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 21-2-1981.

(5) Notification No. 17(4)/80-Reg. dated 17-1-1986 published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 22-2-1986.

(6) Notification No. Sec/RR/3.7/88 dated 17th October, 1988, published in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 5-11-1988.

STATEMENT OF ACCOUNTS 1987-88

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH

GENERAL ACCOUNTS AND BALANCE SHEET 1987-88

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 1987-88

Expenditure	Actuals for 1987-88		Income	Actuals for 1987-88	
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
		(A) Maintenance	**Grant Account—**		
1. Administration—			**1. Endowments and Grants**		8,104,05
(i) Salaries	1,71,35,677		**A. Income from Investments—**		
(i) Other Charges	30,18,005		**B. Grants—**		
(iii) Common Services and General Charges	1,84,49,221		University Grants Commission	25,30,00,000	
		3.86,02,903	State Government	2,62,000	
					25,32,62,000
2. Academic Department			**2. Fees from Students—**		
A. Faculties			Academic	17,66,621	
(i) Salaries	6,32,75,674		Examination	8,16,606	
(ii) Other Charges	82,27,241		Other Fees	8,33,233	
		7,15,02,915			34,16,460
B. Colleges—			**3. Hostels—**		4,98,173
(i) Salaries	74,27,858		**4. Income from Buildings—**		
(ii) Other Charges	13,77,907		Lands and other Properties—		
		88,05,765	Buildings	7,43,586	
C. General Education Centre—			Lands and Gardens	3,46,906	
(i) Salaries	6,44,046				10,90,492
(ii) Other Charges	62,213		**5. Publications—**		23,983
		7,06,259	**6. Other Departments—**		
3. Examinations—			Building Department	5,715	
(i) Salaries	22,08,370		Property Department	19,965	
(ii) Other Charges	48,06,488				25,680
		70,14,858			
4. M. A. Library—					
(i) Salaries	33,66,831				
(ii) Other Charges	50,33,195				
		84,00,026			

Expenditure	Actuals for 1987-88 Rs.	Rs.	Income	Actuals for 1987-88 Rs.	Rs.
		(A) **Maintenance**	**Grant Account—**		
5. **Students Facilities—**			7. **Electricity Department—**		
(i) Salaries	19,10,049		Electricity Supply Service		1,04,71,130
(ii) Other Charges	5,81,584	24,91,633	8. **Miscellaneous—**		6,05,031
6. **Fellowships—**		56,24,412	9. **Schools—**		
7. **Hostels—**			Fees from Students	2,02,034	
(i) Salaries	1,77,98,910		Hostels	11,969	
(ii) Other Charges	5,13,935	1,83,12,845	Miscellaneous	1,24,601	3,38,604
8. **Publications—**			Total—Main University		27,05,41,958
(i) Salaries	2,13,662				
(ii) Other Charges	45,624	2,59,286	10. **Medical College Hospital—Miscellaneous Receipts**		2,81,979
9. **Other Departments—**			11. Sale of **Tahzibul Akhlaq and Nishant Magazines**		78,181
(i) Salaries	98,36,644				
(ii) Other Charges	81,91,533	1,80,28,177			
10. **Auxiliary Services—**					
(i) Salaries	25,50,786				
(ii) Other Charges	91,75,624	1,17,26,410			
11. **Miscellaneous—**					
(i) Leave Salary	65,95,155				
(ii) Salary Arrears (A. B, C & D Categories Staff)	1,14,44,606				
(iii) Transferred to Ear-marked Fund for payment of arrears on accounts of revision of					

scale of pay vide U. G. C. N.F. 21-9-/88 (N.P.—I) dated 2-5-1988	1,23,80,000	
(iv) Encashment of Leave	5,39,537	
(v) Other Charges	85,36,717	
		3,94,96,015
12. Schools—		
(i) Salaries	83,77,260	
(ii) Other charges	5,57,295	
		89,34,555
13. Provident Fund & Pension—		1,40,36,8 58
14. Medical College Hospital—	—	
(i) Salaries	1,32,14,399	
(ii) Other Charges	35,30,603	
		1,67,45,002
15. Publication of Tehzibul Akhlaq—	45,286	
Nishant Magazines	1,67,024	
		2,12,310
Total		27,09,00,229
Excess of Receipt over Expenditure		1,889
Total Maintenance Grant		27,09,02,118

Grand Total 27,09,02,118

Sd./(Fazal Abbas Naqvi)
Asstt. Finance Officer (Accounts)
A.M.U. Aligarh.

Sd/- (S. Shafiq Ahmad)
Dy. Finance Officer

Sd./- A. H. Khan
Finance Officer

Expenditure	Amount	Amount	Income	Amount	Amount
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
	(B) M. U. Development		**Grant Account—**		
I. VI & VII Plan Schemes—			**Grant-in-aid-from UGC—**		
Development of Higher Education and Research—			I. VI & VII Plan Schemes		45,41,583
Salaries & Allowances	53,43,980		II. Special Development Schemes VI & VII Plans		11,58,760
Scholarship & Fellowship	1,41,386		III. Grant-in-aid for Miscellaneous Schemes from U.G.C. Govt. of India and U.P. Government		22,07,090
Other Charges	13,41,224				
		68,26,590	Total		79,07,433
II. Special Development V & VI Plans—			Excess Expenditure		25,61,630
Salaries & Allowances	6,11,975				
Other Charges	3,30,449				
Scholarships & Fellowships	1.22,729				
		10,65,153			
III. Miscellaneous Schemes—					
Writing of University level Books	25,500				
Financial Assistance to teachers	14,235				
Seminars/Symposia/Conferences	2,30,903				
Travel Grant	1,51,017				
Unassigned Grant	2,54,817				
Other Schemes	19,00,848				
		25,77,320			
	Total	1,04,69,063	Total		1,04,69,063

Sd/- (S. Shafiq Ahmad)
Dy. Finance Officer

Sd/- (A. H.) Khan)
Finance Officer

Liabilities	Amount	Amount
	Rs.	Rs.
General Fund Account—		
Permanent Endowments—		
Capitalised value of the donations received and investments made under section 7 of the A.M.U. Act XL, of 1920 as amended		30,00,000
Permanent Reserve Fund—		
Capitalised value of the donations received and transfers made		42,42.082
Special Floating Reserve Fund—		
Capitalised value of the donations and Grants		10,40,221
Floating Reserve Fund—		
Capitalised value of donations etc.		3,76,554
Trust Fund—		
Capitalised value of the donations etc.	12,15.368	
Un-utilised interest of the fund	1,40,461	
		13,55,829
Miscellaneous Fund—		
Depreciation Fund		5,01,582
Building Fund	1,23,25,534	
Engineering College Fund	9,43,845	
Women's College Fund	23.560	
		1,32,92,939
Miscellaneous Credit Balances—		
University's contribution towards Provident Fund at the credit of the employees who have opted for pension	1,30,64,230	

Assets	Amount	Amount
	Rs.	Rs.
Investments—		
Govt. Securities	1,58,204	
Fixed Deposits	10,49,25,027	
		10,50,83,231
Buildings		16,20,59,239
Equipment		10,14,79,342
Vehicles		13,14,498
Furniture		56,52,438
Books		1,53,61,750
Miscellaneous Debit Balances—		
General Fund—		
Permanent Advances	49,197	
Miscellaneous balances as per Annexure to Statement No. 4	21,272	
Suspense Account	10,061	
Compulsory Deposit Scheme	2,080	
		82,610
Development Grant Scholarship Account—		
Excess of expenditure over receipt on account of UGC's CSIR senior/ Junior Fellowships/Scholarships of Girls Polytechnic		15,99,365
Development Grant Account—		
Govt. of India's scheme in Unani Medicine at A. K. Tibbiya College	974	
Govt. of India's Scheme of Library Research Unit at A. K. Tibbiya College	23,602	

Liabilities	Amount	Amount
	Rs.	Rs.
National Service Scheme	23,493	
Student Aid Fund	77,077	
Inter Fund Advances	1,43,77,657	
Compulsory Group Insurance Scheme	21,824	
Recoveries Suspense (As per Annexure)	4,03,369	
Revolving Fund for Publication of books in History Department	2,15,891	
	5,044	
Arrears on account of revision of scale of pay	5,044	
	1,26,49,663	
		4,08,38,248
Maintenance Grant Account—		
Excess of Receipt in the Maintenance Grant Account till the end of 1987-88		1,889
Development Grant Accounts—		
Capitalised value of the Grant received from the University Grants Commission for—		
Buildings		13,58,21,698
Books		1,69,67,877
Equipment		11,19,28,032
Furniture		58,57,288
Deposit Account of the grant received from the Govt. of India for Post-Graduate course in Ilmul Advia, A. K. Tibbiya College		48,173

Assets	Amount	Amount
	Rs.	Rs.
U.P. Govt. Post-Partum Programme	5,82,674	
Deposit Account of the grant received from Govt. of India for Deptt. of Kulliyat and Moallijat at A. K. Tibbiya College	61,996	
Suspense Account	1,65,564	
		8,34,810
Income & Expenditure Account—		
Excess of Expenditure Under Development Grant Account		54,67,068
Inter Fund Advances		66,89,902
M. U. Deposit Account—		
N.I.H. Malaria Scheme in collaboration with University of Hawaii (USA)	24,617	
Investigation on Nutrition fin-fish Under Dr. A. K. Jafri, Zoology Deptt.	4,490	
Miscellaneous Debit Balances	1,27,509	
Loans and Advances as per Statement No. 4	44,64,234	
		46,20,850
Provident Fund Account—		
House Building Advances		48,99,384
Medical College Fund—		
Inter Fund Advances	2,28,063	
Advances for Medical Studies	4,843	
		2,32,906

Recoveries Suspense (As per Annexure to Statement No. 4)		
Suspense Account		7,19,734
Development Govt. Scholarships Account—		
Deposit Account of Grants received from Indian Council of Agricultural Research		12,19,338
Deposit Account of Grants received from ICAR Govt. of In ia ICSR for Scholarships		6,23,127
Inter Fund Advances		1,85,967
Deposit Account—		
Capitalised Value of the grants and donations received from—		
Ford Foundation	21,94,321	
Kuwait Government	1,00,000	
Islamic Republic of Iran	1,13,000	
His Majesty Shah Saud of Saudi Arabia	3,20,322	
Libiyan Government—		
(i) Construction of Union Building	20,000	
(ii) Construction of 100 Rooms Libyan Hostel	3,22,223	
Haji Saud Abdul Aziz Al Babtain	10,37,624	
Sheikh Shah Kamal and Sheikh Husain Ali-Al-Harithy	3,991	
Dr. Hasan Kamal (for modification and Construction Union School Building)	11,74,825	
Mr. Salahuddin Parvez	1,38,437	
Duration from S. S. Mart for purchase of books for various Halls	96,481	
Golden Jubilee Fund—		
Excess of expenditure over receipt		3,891
AMU Development Grant Account—		
S.B.I. A.M.U. Branch, Aligarh		34,27,621
AMU Development Grant Scholarship Account—		
S.B.I. A.M.U. Branch, Aligarh		4,29,067
AMU Deposit Account—		
S.B.I. AM.U. Branch, Aligarh		10,69.288
Syndicate Bank, AMU Extension Counter		4,345
AMU Provident Fund Account—		
State Bank of India (Current A/c)	14,72,768	
Allahabad Bank (Saving Account)	1,92,130	
Post Office Saving Bank	1,326	
		16,66,224
AMU Revolving Fund for House Building Advances—		
Medical College Fund		33,05,399
S.B.I., M. U. Branch, Aligarh		15,583
Dr. Wali Mohd. Waqf—		
S.B.I., M. U. Branch, Aligarh		21,078
Permanent Islamic Solidarity Fund—		
Syndicate Bank A.M.U., Extension Counter		7,117
Golden Jubilee Fund—		
S.B.I., M.U. Branch, Aligarh		2,197
Bibi Fatima Waqf—		
S.B.I., Branch, Aligarh		38,237

Liabilities	Amount	Amount	Assets	Amount	Amount
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
Donation from Mr. M. L. Nayar for research work	4,300		**Chair in Rural Economics—** S.B.I., A.M.U. Branch		2,956
Mr. Ishrat Husain Usmani for scholarship	20,000		**Sheikh Zayed Institute of petroleum & Technology—**		
Late Mr. Mohd. Amjad Ali for purchase of Library Books	2,70,537		Syndicate Bank, A.M.U.		4,63,265
Dr. N. C. Saha for scholarship	10,000		**Scholarship Account—**		
Mr. Sabih Ahmad Kamal	1,50,000		Excess Expenditure over receipt		5,14,867
Jammu & Kashmir Government	6,96,820		Closing Cash Balance with Allahabad		9,79,085
Travel Expenses	2,454		**Closing Balance—**		
		66,75,335	General Fund		1,52,44,881
Miscellaneous Grants & Deposits—					
(i) Grants under PL 480 and other Programme	7,821		State Bank of India, AM.U. Branch		
(ii) Studies on Minor Forest oilseeds under Dr. S. M. Osman, Deptt. of Chemistry	34,626		**A.M.U. Students Welfare Fund—** State Bank of India, A.M.U. Branch		16,258
(iii) Analysis of lesser known oil-Seed under Dr. S. M. Osman Department of Chemistry	1,39,292				
(iv) Project No. Fc-in-664 Department by Bio-Chemistry under Dr. Salahuddin	12,81,040				
(v) Security Deposists	17,66,245				
(vi) Miscellaneous Credit Balance as per Annexure to Statement No. 4	18,09,517				
(vii) Vice-Chancellor's Fund	61,81,342				
(viii) S. S. Hall Canteen	55,444				
		1,12,75,327			

Provident Fund Account—		
Provident Fund	6,58,59,378	
Refundable receipts	24,811	
Inter Fund Advances	21,89,417	
		6,80,73,606
Medical College Fund—		
Capitalised value of donations		61,61,324
Dr. Wali Mohd. Waqf Fund—		
Capitalised value of donations	3,53,388	
Excess of receipt over Expenditure	5,927	
		3,59,315
Golden Jubilee Fund—		
Capitalised value of the donations		1,45,981
Sheikh Zayed Institute of Petroleum Technology—		
Capitalised value of the donations received	25,97,621	
Excess of receipt over expenditure	11,53,794	
		37,51,415
Permanent Islamic Solidarity Fund—		
Capitalised value of the donations	2,34,164	
Excess of receipt over expenditure	343	
		2,34,507
Bibi Fatima Waqf—		
Capitalised value of donations		90,326
State Bank of India Endowment for Setting up a Chair in Rural Economics—		
Capitalised value of		2,956

Liabilities	Amount	Amount	Assets	Amount	Amount
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
AMU Revolving Fund for House Building Advances—					
Capitalised value of the amount received from UGC	42,39,181				
Excess of receipt over expenditure	11,70,496				
		54,09,677			
Scholarship Account—					
Capitalised value of the scholarships		14,93,952			
Students Welfare Fund—					
Capitalised value of donations received	8,82,200				
Excess of receipt over Expenditure	12,258	8,94,458			
Grand Total		44,25,88,757	Grand Total		44,25,88,757

Sd/-
Asstt. Finance Officer (Accounts)

Sd/- (S. Shafiq Ahmad)
Dy. Finance Officer

Sd/- (A. H. Khan)
Finance Officer

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the accounts and Balance Sheet of the Aligarh Muslim University, Aligarh for the year ending 31st March, 1988. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Aligarh Muslim University, Aligarh according to the best of my information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/- (V. A. Mahajan)
Accountant General/Audit
UTTAR PRADESH,
ALLAHABAD

Place : Allahabad
Dated : 21 December, 1988

ANNEXURE 'A' TO THE BALANCE SHEET

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF VARIOUS FUNDS AS ON 31st MARCH,1988

Head of Account	Investment	Building	Books	Equipment	Furniture	Loans and Advances	Inter Fund Advances	Miscellaneous Advances and Debit Balance	Cash Balance	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
I. M.U. Fund General Account—										
Permanent Endowment	30,00,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Permanent Reserve Fund	41,28,204	1,13,878	—	—	—	—	—	—	—	30,00,000
Special Floating Reserve Fund	31,700	10,03,296	—	—	—	—	—	—	—	42,42,082
Floating Reserve Fund	15,424	3,61,130	—	—	—	—	—	—	5,225	10,40,221
Trust Fund	10,59,572	1,50,802	—	—	—	—	—	—	—	3,76,554
Depreciation Fund	2,90,525	—	—	—	—	—	—	—	1,45,455	13,55,829
Building Fund	—	1,23,25,534	—	—	—	—	—	—	2,11,057	5,01,582
Engg. College Fund	—	9,43,845	—	—	—	—	—	—	—	1,23,25,534
Women's College Fund	—	23,560	—	—	—	—	—	—	—	9,43,845
Maintenance Grant Account	1,28,10,153	—	—	—	—	—	—	—	—	23,560
Including Current Expenses Fund	1,30,64,230	—	—	—	—	—	—	82,610	1,48,83,144	4,08,40,137
Total —General Fund	3,43,99,808	1,49,22,045	—	—	—	—	—	82,610	1,52,44,881	6,46,49,344
II. M.U. Development Grant Account	—	13,36,91,906	1,52,04,589	10,03,96,808	56,30,098	—	66,89,902	63,01,878	34,27,621	27,13,42,802
III M.U. Development Grant Scholarship Account	—	—	—	—	—	—	—	15,99,365	4,29,067	20,28,432
IV. M.U. Deposit Account—										
Ford Foundation Grant	—	20,19,168	39,956	1,14,113	21,005	—	—	—	79	21,94,321
Libyan Embassy	3,00000	21,922	—	—	—	—	—	—	301	3,22,223
(Construction of School of 100 rooms)	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000	20,000
Jammu & Kashmir Govt. Grant	—	6,86,820	—	10,000	—	—	—	—	—	6,96,820
Kuwait Grant	—	72,475	—	5,214	1,335	—	—	—	20,976	1,00,000
Kuwait School	—	8,89,358	—	—	—	—	—	—	1,48,266	10,37,624
His Majesty Shah Saud's Donation	2,92,929	—	—	—	—	—	—	—	27,393	3,20,322
Shah of Iran	—	—	1,10,694	—	—	—	—	—	2,306	1,13,000
Vice-Chancellor's Fund	11,92,993	21,07,242	—	22,67,705	—	—	—	—	6,13,402	61,81,342
(Mohd. Ali Johar Hall)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Shaikh Saleh Kamal and Sheikh Husain Al-Harithy for modernisation of Press	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dr. Hasan Kamal for Construction of Union School Building	3,52,780	8,14,012	—	—	—	—	—	—	3,991	3,991
Travel Expenses	—	—	—	—	—	—	—	—	8,033	11,74,825
									2,454	2,454

ANNEXURE 'A' TO THE BALANCE SHEET

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF VARIOUS FUNDS AS ON 31st March 1988

Head of Account	Investment	Buildings	Books	Equipment	Furniture	Loans and Advances	Inter Fund Advances	Miscellaneous Advances and Debit Balance	Cash Balance	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
IV. M.U. Deposit Account—*Concld.*										
Mr. Salah Uddin Pervez for Purchase of Ambulance	1,38,437	—	—	—	—	—	—	—	—	1,38,437
S. S. Hall Canteen	55,444	—	—	—	—	—	—	—	—	55,444
Mr. Ishrat Hussain	20,000	—	—	—	—	—	—	—	—	20,000
Donation Fund for Purchase of books for Various Halls	—	—	—	—	—	—	—	—	96,481	96,481
Donation from M.L. Nayar for research	—	—	—	—	—	—	—	—	4,300	4,300
Dr. N. C. Sana	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	10,000
Dr. Amjad Ali	2,60,000	—	6,511	—	—	—	—	—	4,026	2,70,537
Mr. Sabih Ahmad Kamali	1,50,000	—	—	—	—	—	—	—	—	1,50,000
General Balance	2,11,684	94,382	—	—	—	—	44,64,234	1,56,616	1,11,625	50,38,541
	29,74,267	67,05,379	1,57,161	23,97,032	22,340	—	44,64,234	1,56,616	10,73,633	1,79,50,662
V. M.U. Medical College Fund	—	59,12,830	—	—	—	—	2,28,063	4,843	15,588	61,61,324
VI. Dr. Wali Mohd. Waqf	3,38,237	—	—	—	—	—	—	—	21,078	3,59,315
VII. State Bank of India Chair in Rural Economics Deptt.	—	—	—	—	—	—	—	—	2,956	2,956
VIII. Shaikh Zaid Institute of Petroluem & Technology	25,97,261	6,90,529	—	—	—	—	—	—	4,63,265	37,51,415
IX. Golden Jubilee Fund	55,432	84,461	—	—	—	—	—	3,891	2,197	1,45,981
X. Provident Fund	6,15,07,998	—	—	—	—	—	—	48,99,384	16,66,224	6,80,73,606
XI. Bibi Fatima Waqf	—	52,089	—	—	—	—	—	—	38,237	90,326
XII. A.M.U. Campus Development	2,27,390	—	—	—	—	—	—	—	7,117	2,34,507
XIII. A.M.U. Revolving Fund (H. B. Loan)	21,04,278	—	—	—	—	—	—	—	33,05,399	54,09,677
XIV. A.M.U. Scholarship Account	—	—	—	—	—	—	—	5,14,867	9,79,085	14,93,952
XV A.M.U. Student's Welfare Account	8,78,200	—	—	—	—	—	—	—	16,258	8,94,458
Total	10,50,83,231	16,20,59,239	1,53,61,750	10,27,93,840	56,52,438	—	1,13,82,199	1,35,63,954	2,66,92,606	44,25,88,757

ANNEXURE 'B' TO BALANCE SHEET

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF VARIOUS FUNDS AND INVESTMENTS AS ON 31st March, 1988

Head of Account	Amount	Amount
	Rs.	Rs.
1. Liabilities—		
Permanent Endowment	..	30,00,000
Permanent Reserve Fund	10,05,831	—
H.E. Nizam's Donation	2,78,578	—
Prince of Wales Science School Account	1,39,027	—
Sir Syed Ahmad Memorial Fund	55,333	—
Capital of M.A.O. College	—	—
Transfer from:—		
Floating Reserve Fund	4,51,147	—
Current Expenses Fund	70,084	—
Maintenance Grant Fund	22,42,082	—
		42,42,082
Special Floating Reserve Fund		
Grants from Ex-Princely States—Bhopal Estate Grants—		
(i) Science College	2,48,479	—
(ii) Flying Club	50,000	—
Bhawalpur State Grant for General Building	65,000	—
Mohamoodabad Estate Govt.	38,000	—
	4,01,479	—
Grant for General Building Endowments		
Shahjahanpur Waqf	1,150	—
Fazle Haq Waqf	4,500	—
Badaun Waqf	500	—
	6,200	
Capital Grant from UGC for Purchase of evacuee Property donation for:—	1,89,000	—
Art Gallery by Prof. Moinuddin	21,376	—
General Building	500	—
Books	15,877	—
Construction of 50 beds Ward at Tibbiya College—		
(i) Dawakhana Tibbiya College—	50,000	—
(ii) U. P. Government	50,000	—
	1,37,753	—
Miscellaneous—		
Interest on Investment for Gallery	2,400	—
Cost of Wakf House of Nasiruddin Khan of Shahjahanpur	1,600	—
Auchinlek Memorial Fund	99,754	—
Polytechnic Account	1,50,415	—

Head of Account	Amount	Amount
	Rs.	Rs.
Miscellaneous Receipts	50,451	—
	1,169	
		10,40,221
Floating Reserve Fund	3,51,784	—
Capitalised Fund Donations for—		
Completion of A.M.U. History	300	—
Amir Khusro Fund	434	—
Qanoone Masoodi Fund	3,436	—
General Purposes	7,000	—
Compensation of Land	13,600	—
		3,76,554
Trust Fund—		
Details given in separate Statement (Annexure to Statement No. 4)	—	13,55,829
Medical College Fund—		
Donation from—		
States	16,05,000	—
Individuals	22,99,649	—
His Majesty the King of Saudi Arabia	10,00,00	—
Rusi Ministry of Bombay	39,680	—
Miss E.G. Evbrest of England	13,723	—
Income and Expenditure Account	12,03,272	—
		61,61,324
Dr. Wali Mohd. Waqf:—		
Alal-Aulad Capital Fund—	—	3,59,315
Golden Jubilee Fund—		
Donation for—		
Revonation of Sir Syed House	66,967	—
Establishment of Sir Syed Academy	62	—
Jubilee Scholarships	18,934	—
Establishment of School	60,018	—
		1,45,981
Capitalised value of—		
(i) Donation from Sheikh Zayed for establishment of Institute of Petroleum & Technology	—	37,51,415
(ii) Permanent Islamic Solidarity Fund For A.M.U. Campus Development	—	2,34,507
(iii) Bibi Fatima Waqf (Loan from Central Waqf Board) Income & Expenditure A/c.	—	90,326
(iv) State Bank Endowment for setting up of a chair in Rural Economics	—	2,958

Head of Account	Amount	Amount
	Rs.	Rs.
II. Assets—		
Investment		
(a) Government Securities—		
Permanent Reserve Fund	1,22,267	—
Special Floating Reserve Fund	6,700	—
Trust Fund	29,237	
	1,58,204	
(b) Fixed Deposit—		
Permanent Endowment	—	30,00,000
Permanent Reserve Fund	—	40,05,937
Special Floating Reserve Fund	—	25,000
Floating Reserve Fund	—	15,424
Trust Fund	—	10,30,335
Current Expenses Fund	—	1,30,64,230
Depreciation Fund	—	2,90,525
Maintenance Grant Deposit Account	—	1,28,10,153
Shah Saud Donation	—	2,92,929
S. S. Hall Canteen	—	55,444
Deposit Account	—	2,11,684
Donation from Hasan Kamal	—	3,52,780
Donation Salahuddin Parvez	—	1,38,437
Donation from Libyan Govt.	—	3,00,000
Student's Contribution for Construction of Hostels	—	6,75,553
Donation from M. Sahib Ahmad Kamali	—	1,50,000
Donation from Late Mr. Mohd. Amjad Ali	—	2,60,000
Dr. I. H. Usmani	—	20,000
Vice-Chancellor's Fund	—	5,17,440
Dr. Wali Mohd. Waqf Al-Aulad	—	3,38,237
Golden Jubilee Fund	—	55,432
Sheikh Zaid Institute of Petroleum Technology	—	25,97,621
Permanent Islamid Solidarity Fund	—	2,27,390
Provident Fund Account	—	6,15,07,998
A.M.U. Revolving Fund	—	21,04,278
A.M.U. Student's Welfare Fund	—	8,78,200
Total Investments (a) & (b)		10,50,83,231
Buildings—		
Permanent Reserve Fund	1,13,878	
Special Floating Reserve Fund	10,03,296	
Floating Reserve Fund	3,61,130	
Trust Fund	1,50,802	
Building Fund	1,23,25,534	
Engineering College Fund	9,43,845	
Women's College Fund	23,560	
		1,49,22,045
Development Grant Account		13,36,91,906

Head of Account	Amount	Amount
	Rs.	Rs.
Deposit Account—		
Food Foundation Grant	20,19,168	
Jammu and Kashmir Government Grant	6,86,820	
Kuwait Govt. Grant	72,475	
Kuwait School	8,89,358	
General Balance	94,382	
Construction of Hostel (Libyan Embassy)	21,922	
Mohd. Ali Johar Hall (V.C. Fund)	21,07,242	
Dr. Hasan Kamal	8,14,012	
		67,05,379
Medical College Fund		59,12,830
Golden Jubilee Fund		84,461
Sheikh Zayed Institute of Petroleum		6,90,529
Bibi Fatima Waqf		52,089
Total—Buildings		16,20,59,239
Books—		
Development Grant Account	—	1,52,04,589
M. U. Fund Deposit		
(i) Ford Foundation Grant	39,956	
(ii) Shah of Iran Govt. Grant	1,10,694	
(iii) Mr. Amjad Ali	6,511	
		1,57,161
Total—Books		1,53,61,750
Furniture—		
Development Grant Account		56,30,098
M. U. Deposit Account—		
Ford Foundation Grant		21,005
Kuwait Govt. Grant		1,335
Total—Furniture		56,52,438
Equipment—		
Development Grant Account (Including Vehicles)		10,03,96,808
M. U. Deposit Account—		
Ford Foundation Grant		1,14,113
Kuwait Govt. Grant		5,214
J & K Govt. Grant		10,000
V.C.'s Fund		22,67,705
Total—Equipment		10,27,93,840

Sd- (S. Fazal Abbas Naqvi)
Asstt. Finance Officer (Accounts)

BANK RECONCILIATION STATEMENT AS ON 31st March, 1988

	M. U. Fund Account	M. U. Dev. Grant Account	M. U. Deposit Account	M. U. P.F. Account	M. C. Fund Account
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Balance as per Account	(+)1,52,44,881	(+)35,56,688	(+)10,73,633	8,55,210	15,588
Deduct—					
Remittances in Transit	(—)4,51,783	(—)9,25,167	(—)9,20,192	—12,73,382	—
Erroneous/Unclassified debits by the Bank	(—)2,33,164	(—)32,842	(—)66,864	39,882	—
Total	(—)1,45,59,934	(—)28,98,679	(—)86,577	— 4,58,054	15,588
Add					
Uncashed Cheques	(+)2,25,92,518	(+)44,63,772	(+)4,51,340	4,22,099	—
Erroneous Unclassified credits by the Banks	(+)72,064	(+)1,971	(+)31	35,955	—
Balance as per Bank Statement and Pass Books of I.P.O. Saving Bank A/c.	(+)3,72,24,516	(+)73,64,422	(+)5,37,948	—	—

Sd/- S. Fazal Abbas Naqvi
Asstt. Finance Officer (Accounts)

AUDIT REPORT
OF THE
ACCOUNTANT-GENERAL, UTTAR PRADESH
ON THE ACCOUNTS OF THE
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY
FOR THE YEAR
1987-88

AUDIT REPORT ON THE ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY FOR THE YEAR 1987-88

I. Introductory

A broad anylysis of income and expenditure of the University for 1987-88 (with corresponding figures of the previous year) is given below :—

	1986-87		1987-88
	(Rs. in lakhs)		
I. Income			
1. Maintenance Grant received from			
(i) University Grants Commission (UGC) ..	1882·00	2530·00	
(ii) Government of Uttar Pradesh ...	2·62	2·62	
	1884·62		2532·62
2. Grants received from the Government of India and the UGC for various specific purposes.			
(i) Recurring ..	70·67	79·07	
(ii) Non-recurring ..	212·59	264·65	
	283·26		343·72
3. Income from :—			
(i) Endowments and investments ..	7·81	8·10	
(ii) Buildings and land ..	8.56	10.90	
	16 ·37		19·00
4. Academic receipts ..	30·75		36·19
5. Hostel Receipts ..	13·84		5·10
6. Medical College receipts ..	3·04		2·82
7. Miscellaneous receipts ..	79·24		113·29
8. Excesss of expenditure over income :—			
Development ..	..		25·62
Total ..	2311·12		3078.36

	1986-87		1987-88	
		(Rs. in lakhs)		
II. Expenditure				
1. Capital				
(i) Building ..	106·18		80·80	
(ii) Equipment ..	67·50		132·15	
(iii) Books ..	5·32		15·17	
(iv) Furniture ..	3·04		1·82	
		182·04		229·94
2. Revenue expenditure (Pay and allowances and common (services) ..		1119·10		1505·50
3. Academic expenditure ..		139·58		358·70
4. Hostels ..		147·60		183·13
5. Medical College Hospita ..		134·22		167·45
6. Fellowship and Scholarships ..		37·39		56·24
7. Development Grants ..		60·84		104·69
8. Miscellaneous expenditure ..		364·20		297·61
9. Contributions to Provident Fund and Pensions		83·44		140·37
10. Excess of income over expenditure				
(i) Capital ..	30·55		34·71	
(ii) Development ..	9·84		..	
(iii) Maintenance ..	2·32		0·02	
		42·71		34·73
		2311·12		3078·36

2. Comments on Accounts

(i) Recoveries Suspense

Mention was made in para 2 (ii) of the Audit Report for the year 1986-87 regarding the outstanding balance under recoveries suspense. Although there was an improvement in clearance of the outstanding balances, still there was a net balance of Rs. 11.22 lakhs under this head at the end of 1987-88.

Items as mentioned below depicted adverse closing balances which need to be investigated :—

		Debit	Credit
		(Rs. in lakhs)	
(i) Vice-Chancellor's Fund	..	0·19	
(ii) Salary payable	..		3·55
(iii) Boarding House Dues			5·34
(iv) Life Insurance Corporation	..		0·32
(v) Income Tax	..	0·09	
(vi) Teaching staff Association	..	0·12	
	Total	0·40	9·21

The University intimated (November 1988) that effects were being made to reconcile the outstanding balances.

(ii) Cheques awaiting cancellation

Cheques aggregating Rs. 2·24 lakhs (Provident Fund : Rs. 1·97 lakhs, Deposit : Rs. 0·12 lakh and Muslim University Development Grants : Rs. 0·15 lakhs) issued during 1975-76 to 1986-87 but not presented at the bank by the payees, had not been cancelled and written back though time barred. The University assured (November 1988) that the cheques will be cancelled and the result will be reflected in the accounts for the year 1988-89.

(iii) Non-encashment of matured Investments

Investments to the tune of Rs. 1.38 lakhs (face value : Rs. 1·42 lakhs) made in the Government Securities (3% conversion loan 1946-86) matured in 1986. But the University had not encashed and reinvested them in higher interest bearing investments. Reasons for non-encashment of the securities were not informed. However, the university stated (November 1988) that the matter had been taken up with the bank and the amount was expected to be realised soon.

3. Bank reconciliation

As on 31st March 1988, there was a difference of Rs. 319·83 between the balances as shown in the Cash Book of the University and those appearing in Bank Accounts. The details were as under :—

Nature of difference	Period/amount					
	More than 10 years (upto 1975-76)	1976-77 to 1980-81	1981-82 to 1984-85	1985-86 to 1986-87	1987-88	Total
	(Rs. in lakhs)					
Credits appearing in Cash book but not in Bank account ..	0·38	0·08	0·02	0·22	35·01	35·71
Credit appearing in Bank accounts but not in cash book ..	0·02	0·41	0·06	0·08	0·53	1·10
Debits appearing in Cash Book but not in Bank accounts ..	1·01	0·76	0·05	0·44	277·04	279·30
Debits appearing in Bank accounts but not in cash book ..	2·27	0·86	0·02	0·23	0·34	3·72
Total	3·68	2·11	0·15	0·97	312·92	319·83

As mentioned in para 3 of the Audit Report on the University for the year 1986-87 a sum of Rs. 2·22 lakhs was wrongly paid by the bank in the name of the Administrative officer of the University's Medical College during 1972·73. The amount had not been written back by the bank so for (August 1988). The reasons for other discrepencies were yet (August 1988) to be ascertained by the University. The University intimated in November 1988 that the total differences had been reduced to Rs. 124.18 lakhs.

4. Outstanding Advances

As on 31st March 1988, advances totalling Rs. 252·03 lakhs given to various departments of the University to meet their requirements from time to time were awaiting adjustment. Agewise position of the outstanding was as under :—

Age of advances (Years)		No. of cases	Amount (Rs. in lakhs)
11 to 26 (1961-62 to 1976-77)	..	1093	25·64
5 to 10 (1977-78 to 1981-82)	..	642	26·02
3 to 5 (1982-83 to 1985-86)	..	460	52·20
(1986-87 to 1987-88)	..	1206	148·17
	Total	3401	252·03

Position with regard to some of the old items of advances was as under :—

(i) During 1968-69, four advances totalling Rs. 5·98 lakhs made to the University Engineer for procurement of cement for use in various construction works of the University had not been cleared in spite of the fact that the works of construction (Medical Colleg building and building of 480 students hostel of Engineering College) had been completed long ago.

(ii) During 1971-72 advances totalling Rs. 0·34 lakh made to the then Head of the Department of University's Physics Department for meeting laboratory running expenses had remained unadjusted.

(iii) Advances totalling Rs. 0·16 lakh made to the Registrar of the University during 1971-72 for payment of T.A. to the members of the Executive Council were yet to be adjusted.

(iv) An advance of Rs. 0·68 lakh was paid to the Executive Engineer; Central Division, C.P.W.D., Ghaziabad in 1981-82 in connection with the construction of a 10 bedded ward was lying outstanding due to non-receipt of the adjustment account.

The University stated (November 1988) that steps were being taken to adjust the outstanding advances as expeditiously as possible.

(ii) Outstanding against Letters of Credit

Mention was made in paragraph 5(ii) of the Audit Report for the year 1986-87 regarding outstanding against letters of credit. An amount of Rs. 25·98 lakhs paid towards opening letters of credit for payment against imported equipment during 1978-79 to 1986-87 was awaiting adjustment since the University was yet (August 1988) to ascertain receipt of the ordered equipment from its various academic departments on whose behalf the equipment were ordered for supply, and obtain adjustment accounts from them. The University stated (November 1988) that efforts were made to settle the outstanding amounts.

5. Grants Utilisation

As on 31st March 1988, the University had a balance of Rs. 265·15 lakhs out of the grants received between 1958-59 to 1987-88 from the UGC and the Government of India for specific purposes (Non recurring Rs. 225·36 lakhs and recurring: Rs. 39·79 lakhs) remaining unutilised. On the other hands, the University incurred expenditure on some other items to the extent of Rs. 163·31 (Non recurring: Rs. 68·85 lakhs and recurring: Rs. 94·46 lakhs) in excess of the grants received.

Some of the items having substantial savings and excess were as under :

Savings		**Excesses**	
Purpose of grant	*Amount*	*Purpose of grant*	*Amount*
	(Rupees in lakhs)		(Rupees in lakh)
(i) Infrastucture Development pragramme consist	20·01	(i) 10+2 School building (Boys))	9.11
(ii) 150 Additional beds in Hospital attached to J.N. Medical College (with Plan) .	10·66	(ii) Construction of building for housing computer	7·60
(iii) Additional assistance under the revised pattern for phase I of the reorientation of Medical Education Scheme JNMC—		(iii) Career Planning Scheme salaries and allowances of non teaching staff .	3·71
Construction of seminar room, addition and alteration of Primary Health Centre operation theatre, construction of residential quarters for the students. . .	9·97	(iv) Construction of building for book bank	3·57
		(v) Special repair of roads . . .	2·96

Purpose of Grant	Amount	Purpose of Grant	Amount
(iv) Grant for purchase of equipment for Electrical Engineering department	9·80	(vi) Extention of Tibbya college 50 bedded hospital	2·48
(v) VII Plan adhoc grant for equipment (JN Medical College).	7·83	(vii) Coaching and Guidance Centre (Salaries & allowances of staff)	2·46
(vi) Department of Civil Engineering Modernisation of laboratory and workshop	7·42	(viii) Equipment project on integrated study of Ganga Eco System	2·09
(vii) Construction of sheds Artisan of minority community (University Polytechnic)	7.25	(ix) Equipment for Faculty of Arts, Social Science and Science etc.	1.68
(viii) Construction of 500 students hostel	6.93	(x) Construction of building for Statistics Department	1.52
(ix) Additional grant for books for engineering college	5·00	(xi) Establishment of New archival (cell)	1.14
(x) Construction of Professors/Readers quarters	4·88	(xii) Construction of buildings for Faculty of Commerce and Law	1·06
(xi) Purchase of X-Ray machine under urgent requirement	4·31	(xiii) Provision of grill of varandah of Science block.	0·83
(xii) Construction of building under diversification of existing courses University Polytechnic	3·66	(xiv) Cafeteria and Kitchen	0.71
(xiii) Construction of building for J.N. Medical College main building (IIIrd Plan)	2·49	(xv) Construction of laboratory and lecture theatre (V Plan)	0·62
(xiv) Post diploma course in computer science	1·14		

The University stated (September 1988) that in a number of schemes/projects grants were received at the end of the financial year 1987-88 and hence/huge amount of grants could not be utilised during the year.

The University added (October 1988) that Rs. 241·00 lakhs out of unspent amount of grants had since been utilised during the current financial year and Rs. 6·20 lakhs pertaining to balances of II, III and IV plan had been refunded.

The University, however, did not advance the reasons for non-utilisation of grants received in earlier years. As regard expenditure in excess of the grants received, it was intimated by the University, that the expenditure was incurred on approved schemes in anticipation of grants from the funding agency to ensure smooth working of the schemes/Projects.

6. Un-disbursed Scholarships

The Department of Atomic Energy, Indian Council of Medical Research, and the UGC had been sanctioning scholarships to the students of the University. Sanction orders stipulated that unpaid amount of scholarships remaining unclaimed/undisbursed for more than three years should be refunded to the sanctioning authorities. It was, however, noticed that Rs. 5·82 lakhs of scholarship amount which remained unclaimed/undisbursed for more than 3 years had been retained by the University and not refunded to the funding agencies. Yearwise break up of the undisbursed amount was as below :—

Year	Amount
	(Rupees in lakhs)
1970-71 to 1979-80	4·48
1980-81	0·31
1982-83	0·65
1983-84	0·38
Total	5·82

The University stated that steps were being taken to refund the undisbursed amount to the funding agencies.

7. Works activities

(i) Avoidable expenditure on Construction of Ilmul Advia Building—Rs. 2·25 lakhs

The University entered into an agreement in January 1981 for constuction of buildings for its Department of Ilmul Advia. The contractor while tendering the rates in October 1980 had put a condition for payment on account of price hike of the materials used in the construction work, due to Government legislati on or Act. The University had not accpted this condition, but if failed to communicate its decision to the contractor while issuing letter of acceptance in January 1981. Consequently, the contractor on his claim for payment of bill at enhanced rates being rejected by the University at a later date (November 1982) sought for appointment of arbitrator in term of clause 25 of the contract agreement. On the ground that the University had not communicated to the contractor its decision for not accepting the price escalation directed clause while issuing letter of acceptance in January 1981, the arbitrator gave the benefit to the contractor and the University for payment of award to the tune of Rs. 2·25 lakhs. Thus, failure on the part of the University in not communicating the non-acceptance of escalation clause to the contractor resulted into avoidable payment of Rs. 2·25 lakhs to the contractor which was made out of MU Fund since there was no fund available under development grants and the UGC refused to provide fund for the purpose.

(ii) Inordinate Delay in finalising tenders leading to cost escalation

The University Grants Commission approved in October 1982 the University's proposal, sent in March 1982, for construction of a building for its Computer Centre at an estimated Cost of Rs. 28·55 lakhs (Civil Works: Rs. 13·10 lakhs, electricity; Rs. 3·95 lakhs, Furniture and work charge contingency: Rs. 4·00 lakhs and Air conditioning Rs. 7·50 lakhs). Civil Works of the building were to be got done by the Contractor for which the University invited tenders in March 1984 after a lapse of one year seven months of obtaining UGC's approval. Since only one tender was received the University went for retendering in July 1984. Tenders were finalised and contract awarded in December 1984 with stipulated date of completion in December 1985. Thus the University took about 2 years in finalising contract, with the result it had to accept the lowest tender as high as Rs. 20·55 lakhs against the estimated cost of Rs. 13·10 lakhs as the rates of materials had gone up in the meantime. Further, on finalisation of Contract in December 1984 the UGC released (January 1985) grants of Rs. 10 lakhs as first instalment and called for fresh revised estimate on the basis of accepted cost of the tender. the University again took two years and submitted the revised estimate only in January 1987 for Rs. 44·83 lakhs (Civil Works: 20.55 lakhs, other items and Air Conditioning : Rs. 24·28 lakhs).

By the end of March 1988 the University had spent Rs. 20·31 lakhs on Civil Works against the tendered cost of Rs. 20·55 lakhs and 20 percent of Civil Works were yet (August 1988) to be completed. Thus, due to delayed action the University had to incur aviodable expenditure to the tune of Rs. 7·45 lakhs.

The delay in finalising the tender/estimate was attributed (November 1988) to the time taken in preparing detailed estimates and detailed working drawings etc., and arriving at a decision on items added to it.

8. Purchase of defective fans

The University purchased 1297 Nos. Polar fans (value Rs. 5·07 lakhs) from a Ghaziabad based firm in June 1985 making 100 percent payment to the firm.Out of the above, 405 fans valuing Rs. 1·81 lakhs went out of order within warranty period of one year.In spite of several reminders the supplier did not turn up to repair or replace the fans and the University had to spend Rs. 0·50 lakh for getting the fans repaired. Since the University had not obtained any security deposit from the supplier it could not take any penal action against the firm. Thus due to not taking adequate safeguard, University had to accept defective fans worth Rs. 1·81 lakhs (recurring liability) beside incurring expenditure of Rs. 0·50 lakh on repair, while the matter was still being pursued with the manufacturer through the Manager, National Small Industries Corporation and Director Small Scale Industries, U.P. Kanpur.

9. Un-authorised Aid to Private Drug Shop.

In the Medical College campus of the University a drug shop is run since 1985 by a society named "Huwashshafi Society for Patients Welfare" (Society)., the Executive Committee of which consists of certain doctors of Medical College, with principal of the Medical College as President of the Society and Superintendent of the Medical College Hospital as its Honorary Secretary.

Although no formal agreement was signed between the University and the said society, the following facilities were being enjoyed by the drug shop since 1985:--

(i) Two rooms of the Medical College building were occupied by the shop without payment of any rent, electricity and water charges.

(ii) Certain articles of the University were transferred to the drug shop at depriciated value (number of the articles and their value not intimated) under orders of the Vice-Chancellor but the value of articles had not been recovered by the University so far (August 1988).

(iii) Service of the five ward Assistants of the Medical College Hospital were used in the Drug shop from October 1985 to March 1988. Total salary of Ward Assistants (Rs. 1 ·25 lakhs) paid by the University had not been recovered from the Society so far (September 1988).

The University stated (November 1988) that the drug shop was established for assisting the hospital in improving the patients care services on round the clock basis and as a mutual response the facilities were extended to it by the University.

10. Idle equipment

(i) Computer system

A VAX-II/780 Computer system imported by the University in July 1980 at a cost of $ 285961 ·64 (approximately Rs. 30 lakhs) was not completely installed (August 1988) reported for want of sufficient space for housing components like Digitiser and additional terminals in the existing Computer Centre building and construction of new building for the Centre sanctioned in 1980-81 alongwith the computer, was still (August 1988) not complete.

(ii) Mass Aligner MB. 750

Mass Aligner MB. 750 imported by the Electronic Engineering Department through an Indian Agent of a foreign supplier at a cost of Rs. 9 ·46 lakhs in September 1986 for creation of infrastructure in the area of weakness in electronics had not still been installed (August 1988) for want of special type of accommodation. This was also mentioned in the Audit Report on the University for the year 1986-87. The University intimated (November 1988) that a new laboratory to house the equipment had been constructed and steps for installation of the equipment were being initiated.

(iii) Stemex Boiler

Stemex Boiler procured in March 1987 from firm at a cost of Rs. 1 ·55 lakh for the Institute of Petroleum and Chemical Engineering of the University was lying idle (August 1988) as it could not be installed for want of space as the building for housing the Institute was yet to be constructed (August 1988).

(iv) Tracking scope

Mention was made in paragraph 9(iii) of the Audit Report on Aligarh Muslim University for the year 1986-87 regarding import of defective Tracking Scope valuing Rs. 1 ·55 lakhs, by the Electrical Engineering Department of the University in July 1985 for strengthening teaching facilities. The equipment was still lying idle since the supplier had not turned up to rectify the fault despite several reminders.

The University stated (August 1988) that the Indian Agent of the firm had now agreed, to re-export the equipment to the manufacturer for necessary rectification of defects at their cost.

(v) Atomic Absorption Spectro Meter

An Atomic Absorption Spectrometer imported in February 1980 by the University's Department of Unani Advia (A. K. Tibbiya College) at a cost of Rs. 1 ·20 lakhs was lying un-installed (August 1988) even after a lapse of about 8 years of its acquisition defeating its intended purposes.

The University stated (August 1988) that the firm had assured to instal the machine shortly.

8. Institute of Petroleum and Chemical Engineering

The University's proposal for the establishment of an Institute of Petroleum Studies and Chemical Engineering at the Aligarh Muslim University, involving an estimated cost of Rs. 114·97 lakhs (Non recurring : Rs. 111·45 lakhs and recurring : Rs. 3·52 lakhs), for starting master level courses in general area of petrol refining, Petro Chemicals/Chemical Engineering was agreed to by the UGC in May 1983. The proposal for establishment of such an institute actually cropped up at the instance of President of UAE who, while visiting the University in January 1975, offered a donation of one million U.S. dollars for the purpose, actual donation received from the Government of UAE, was 2 lakhs US dollar (March 1975).

The work of establishing the Institute was initiated on the infrastructure available in the Department of Chemical Engineering of the University. Between 1983-84 and 1986-87, the UGC released Rs. 47 lakhs for purchase of equipment; (Rs. 45 lakhs) and books(Rs. 2 lakhs) which were meant for and used in strengthening the Department of Chemical Engineering.

The main object of establishment of the Institute i.e., starting of master level course in general areas of Petrol refining, Petro Chemical/Chemical Engineering being offered by very few academic institutions in India, was yet to be achieved (September 1988). The University had, however, started one year Post Graduate Diploma course since August 1984, wherein also the seats provided were not getting filled up as indicated below : —

Year	*Intake Capacity*	*Students Admitted*	*Number of Students completed the course*
1984-85	10	12	8
1985-86	10	4	2
1986-87	10	5	4
1987-88	10	9	1

Inability in starting the master level courses, as intended, was attributed to non-availability of pace.

The University stated (November 1988) that the response for admission and high drop out after admission was due to the fact that their being good job opportunities in the industries for B.Sc. Engineering (chemical) degree holders, who alone were qualified for admissions in the diploma course, they preferred jobs to this diploma. It was further stated that construction of a separate building for the institute had been sanctioned by the University Grants Commission.

12. Research Projects/Schemes

(i) Immunity in the Amblasis study of Host Parasite Interaction of Macromolecular level 'Principal Investigator —Dr. Sohail Ahmad of Department of Miscrobiology.

The Department of Science and Technology, Government of India (DST) sanctioned the above Project for Microbiology Department (J.N. Medical College) of the University in 1979-80 initially for a period of three years which was subsequently extended up to 30th June 1983. Between 1979-80 and 1982-83 the University received grants totalling Rs. 3.95 lakhs (1979-80): Rs. 2,25 lakhs., 1980-81 : Rs. 0·92 lakh, 1981-82 : Rs. 0·53 lakh and 1982-83 : Rs. 0·25 lakh) against which the University spent Rs. 3·79 lakhs (permanent equipment : Rs. 2·47 lakhs, salaries : Rs. 0·79 lakh, materials and supplies: Rs. 0·31 lakh, contingency : Rs. 0·17 lakh and travel: Rs. 0·05 lakh) leaving a balance of Rs. 0·16 lakh. As per terms and conditions of grant, the assets acquired out of the grant were property of the funding agency and the Principal investigator was required to furnish a detailed report to the Government about completion of the project besides refunding un-utilised balance of the grant. The University had, however taken permanent equipment (value : Rs. 2·47 lakhs) procured out of the grant received for this research project in University's Account without obtaining any consent of DST on the plea that the DST did not task for this equipment to be returned after completion of the scheme. The reasons for not refunding the unutilised balance of Rs. 0·16 lakh were, however, not stated. The University was silent on the point of sending completion report (August 1988) to the DST as required.

(ii) The behaviour of Annular Footings on Sand.

The UGC sanctioned in July 1983 the above project for the Civil Engineering Department of the University for a period of 3 years and agreed to render financial assistance as under:—

1. Non recurring

Equipment Rs. 0.29 lakh.

II. Recurring

(a) Salary of Technical Assistants—one

(b) Working Expenses: Rs. 2000 per annum.

Between 1983-84 and 1985-86 UGC released funds totalling Rs. 0·46 lakh (1983-84 ; Rs. 0·31 lakh and 1985-86 ; Rs. 0·15 lakh) against which the University spent Rs. 0·43 lakh (non-recurring items; Rs. 0·27 lakh and recurring items; Rs. 0·16 lakh) till August 1986 when the Principal Investigator abondoned the project and proceeded abroad for taking up foreign assignment without submitting any report of the work done till then. The co-investigator had already left the project a year earlier. Expenditure of Rs. 0·43 lakh incurred on the Project thus, proved infructuous.

The University stated (August 1988) that the Principal Investigator had to leave India in hurry and report of the work done on the project would be submitted in due course and UGC would be intimated accordingly.

13. Unsold stock of publications

As on 31st March 1988, the Publication Division of the University was having an unsold stock of 44 685 books of 330 titles (value : Rs. 5·48 lakhs) published during 1958-59 to 1986-87, of which 26019 books of 143 titles (43 percent approximately) valuing Rs. 1·69 lakhs were printed more than 15 years ago.

Year-wise analysis of the unsold books/titles was as under:—

Year of Publication	Title	Copies printed	In Stock (%of un-sold copies)	Value un-sold copies
	In numbers			Rs. in lakhs
1958-59 to 1969-70	143	71108	26019 (36%)	1·69
1970-71 to 1979-80	101	38828	11042 (29%)	2·26
1980-81 to 1984-85	54	7218	2653 (36%)	0·53
1985-86 to 1986-87	37	7446	4953 (65%)	1·00
	355	124600	44647	5·48

The reasons for huge stock remaining unsold were not forthcoming (August 1988).

14. Agriculture farm

The University maintained an agricultural farm (area 140 acres) outside the academic curricular and attached it with its service department of Land and Gardens which function to maintain gardens, lands, flowers and fruit bearing trees in the campus. Although the farm was a revenue earning unit having all facilities of tube well, tractors, threshers and a permanent contingent of 16 workers including a qualified supervisors and its functions differed from those of Service departments, its propforma accounts had not been maintained. during the year 1987-88 a total sum of Rs. 3·76 lakhs was spent (salaries of staff: Rs. 2·72 lakhs, cultivation charges; Rs. Rs. 0·86 lakh and diesel and repairs of tractor: Rs. 0·18 lakh) whereas revenue receipt on account of sale/auction of standing crops/grains was only Rs. 1·65 lakhs. The farm thus, suffered a loss of Rs. 2·11 lakhs reasons for which were not investigated. In its accounts the University reflected a figure of Rs. 3·47 lakhs representing sale of wheat and other produce including receipt of Rs 1.82 lakhs on account of auction of Mango, Guava and other fruit bearing trees to cover the actual loss of the farm.

The University stated (November 1988) that the object of the farm was to maintain possession over the properity and a part of the farm was also utilised for research purpose from which no income was possible, hence no proforma account was prepared.

15. Physical Verification of books at the University Library

As per laws of the University Library, the physical verification of the books should be conducted in such a way that the entire stock of library books is physically verified at least once in five years, Contrary to the above it was observed that stock taking of the University was taken up with effect from 1984-85 and till March 1988, physical verification of only five out of fifty sections could be conducted.

A periodical report on the stock taking indicating details and causes of losses was to be submitted to the Library Committee for taking final decision, but no such reports were sent to the Library Committee.

As a result of physical verification large number of books were found missing, which were as sunder:—

		No. of Books
1984-85	Collection of General and Philosophy	397 Nos.
1985-86	Collection of Comparative religion	461 ,,
1986-87	Collection of Sociology, Political Science and Statistics	Report not received.
1987-88	Seminar Library, Department of Sociology	163 Nos.

There were about 80 other libraries in different departments, colleges, Halls and Medical Colleges, but physical verification in respect of these libraries had never been conducted. The University stated (November 1988) that physical verification of books was in process.

16. Non disposal of un-serviceable equipment (Rs. 1·02 lakhs)

Un-serviceable equipment, items numbering 28 valuing Rs. 1·02 lakhs (books value of which ranges between Rs. 371 and Rs. 10,991.40) was lying in the Botany Department awaiting disposal for which action was yet (August 1988) to be initiated by the University.

(V. A. Mahajan)
Accountant General/Audit
U. P., ALLAHABAD.

Place : Allahabad
Dated : 21 December, 1988

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990